वर्ष : 23 अंक : 4 (84वाँ अंक) अक्टुबर-दिसंबर, 2018

विचार

सार्वजनिक कार्यक्रम तक पहुँच में सुधारः परियोजना रणनीति, परिणाम और प्रभाव

यूरोपीय संघ

उन्नति
UNNATI

- **संपादकीय** **3**
- राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सुधार करना **6**
- सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनः गुजरात में विकलांग लोगों को सार्वजनिक योजनाओं तक पहुंचाने के प्रयास (2014-2018) **9**
- सार्वजनिक कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधारः परियोजना रणनीति, परिणाम और प्रभाव **15**
- शासन और नागरिक शिक्षण **18**
- पुरुष परिवर्तनकर्ता तैयार करना **23**
- 'हम बिना किसी डर और प्रभाव के भयभीत हुए बिना काम करने में विश्वास करते हैं' **25**

संपादकीय

सार्वजनिक कार्यक्रमों की डिजिटल जानकारीः जवाबदेही के लिए नागरिक केंद्रित सशक्त साधन

जब सरकारी कार्यव्यवहार कागजों और फाइलों (मैनुअल संचालन) के माध्यम से किए जाते थे तब भूस्वामित्व के रिकॉर्ड जैसे वैध दस्तावेजों के लिए सरकारी कार्यालय में तीन से चार चक्कर लगाना आम बात थी। सरकारी दफ्तरों में हमेशा कतार में ख़डे नागरिकों की भीड़ होती थी जो अपनी बारी का इंतजार करते थे। यह अतीत का परिदृश्य है। अब इंटरनेट और मोबाइल के उपयोग के साथ ई-गवर्नेंस और एम-गवर्नेंस क्रांति का प्रचलन है। एम-गवर्नेंस शासन सेवा और सूचना कभी भी, कहीं भी के लिए मोबाइल या वायरलेस का उपयोग किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2018 तक, भारत में 123 करोड़ आधार डिजिटल बायोमेट्रिक पहचान पत्र, 121 करोड़ मोबाइल फोन, 44.6 करोड़ स्मार्टफोन थे। इसमें दिसंबर 2017 में 481 मिलियन लोगों की तुलना में 561 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता (देश की कुल आबादी का 35 प्रतिशत) और ई-कॉमर्स में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन (NeGD) द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार, विभिन्न राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा 3500 से अधिक विभिन्न ई-सेवाएं दी जा रही हैं। NIC के अनुमानों के अनुसार, केंद्र और राज्यों की सरकारों के द्वारा 8000 से अधिक विभिन्न पोर्टल और वेबसाइट होस्ट की जाती हैं।

इस क्रांति के श्रेय का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DEITY) और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा 2006 में तैयार की गई राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) को जाता है। इसका उद्देश्य इस दृष्टि कथन - 'सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिए उनके इलाके में आम सेवा वितरण आउटलेट्स के माध्यम से सुलभ कराना और आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किफायती लागत पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना' के साथ नागरिकों को सरकारी सेवाएं बेहतर ढंग से प्रदान करना है। भारत सरकार द्वारा 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करके और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर या देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर उपलब्ध हो सकें। इसमें उच्च गति के इंटरनेट नेटवर्क के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने की योजना शामिल थी। इसके तीन मुख्य घटक थे सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विकास, सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप से प्रदान करना और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए साधन के रूप में डिजिटल उपयोगिता और साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में हाईस्पीड इंटरनेट के में डिजिटल सुविधा प्रदान करना है। कार्यक्रम का समग्र दायरा भारत को ज्ञान के भविष्य के लिए तैयार करना, परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी को प्रमुख स्थान देना और कई विभागों को कवर करने वाला कार्यक्रम बनना था।

ICT का उपयोग प्रशासन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अलग-अलग परिवारों की पात्रता, एमजीनरेगा के तहत भुगतान, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सीधे लाभ हस्तांतरण और अन्य योजनाओं को ट्रैक किया जा सकता है। पात्रता के सत्यापन ने जवाबदेही का माहौल तैयार किया है। नागरिक यह देख सकते हैं कि वे कुछ योजनाएं क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं और वे प्रासंगिक दस्तावेजों को अपलोड करने के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकारी कामकाज की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो रही है और जवाबदेही गतिपकड़ रही है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी संचार को तेज बनाती है, कागजी और मानवीय इंटरफ़ेस का उपयोग कम करती है।

कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के कम्प्यूटरीकरण में प्रमुख कार्य क्षेत्र शामिल किए गए हैं जैसे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आवंटन और उपयोग रिपोर्टिंग, भंडारण और खाद्यान्न की आवाजाही, शिकायत निवारण और पारदर्शिता पोर्टल, लाभार्थी डेटाबेस का

डिजिटलीकरण, उचित मूल्य की दुकान का ऑटोमेशन, आदि। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक व्यापक मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (MCTS) बनाया है। पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के कम्प्यूटरीकरण को मिशन मोड पर शुरू किया गया था। कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) आवेदनपत्र, प्रमाण पत्र और उपयोगिता भुगतान सहित वेबसक्षम ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करते हैं जिन्हें अलग-अलग राज्यों - बिहार में वसुधा केंद्र या झारखंड में प्रज्ञा केंद्र जैसे अलग-अलग नाम से जाना जाता है। यह उन लोगों के लिए सरकारी सेवा देने की सुविधा है, जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं है। ये एक ही भौगोलिक स्थान पर कई कामकाज की सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुसेवा-एकलस्थल मॉडल हैं। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षमताओं के निर्माण और आजीविका पैदा करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) स्थापित किए गए हैं। वे ग्रामीण नागरिकों पर मुख्य ध्यान देने के साथ नीचे से उपर वाले दृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक कार्रवाई के प्रवर्तक हैं। हालांकि, आज CSCs नागरिकों को सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने में मदद करने वाली सीमित भूमिका ही निभा रहे हैं।

इंटरनेट आधारित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) नागरिकों को किसी भी समय, कहीं से भी शिकायत प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। इस पोर्टल पर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने वाली प्रणाली के माध्यम से शिकायतों की ट्रैकिंग की सुविधा भी दी गई है। कई राज्यों में अपनी एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली भी है। मोबाइल ने उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं को और अधिक आसान और सुविधाजनक बना दिया है। मोबाइल सेवा का उद्देश्य मोबाइल फोन और टैबलेट के माध्यम से लोगों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। इसने मोबाइल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ स्टेट डेटा सेंटर (SDCs), स्टेटवाइड एरिया नेटवर्क (SWANs), स्टेट और नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे (SSDGs / NSDG) के साथ मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म के एकीकरण को सक्षम बनाया है। इसने सरकारी विभाग को वेब और मोबाइल आधारित सेवाओं को समेकित रूप से एकीकृत करने में सक्षम बनाया और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन की अत्यधिक उपलब्धता का लाभ उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाया है। मोबाइल सेवा के एक भाग के रूप में DEITY द्वारा एक मोबाइल एप्लिकेशन स्टोर (m-App Store) भी विकसित किया गया था। m-AppStore वर्तमान में 240 से अधिक लाइव मोबाइल एप्लिकेशन होस्ट करता है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन पर मुफ्त डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है। सरकार ने न्यू एज गवर्नेंस (UMANG) ऐप के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा हमारे नागरिकों के मोबाइल फोन पर सुलभ बनाने के लिए एक बड़े लक्ष्य के साथ एक एकल मोबाइल ऐप पर 162 सरकारी सेवाओं को लाना है। निवासी के ही इलाके में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए कई राज्यों में डो.एसएमएस ऑफ केरल, एम स्वास्थ्य सूचना प्रणाली जैसे कई अभिनव उदाहरण हैं। गोवा ने सरकारी आवेदनों और शिकायतों और स्टेटस ट्रैकिंग की प्राप्ति के लिए अलर्ट शुरू किया है। महाराष्ट्र ने मोबाइल अलर्ट के माध्यम से एक यातायात प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है।

कई फायदों के बावजूद, ई-गवर्नेंस और एम-गवर्नेंस पहलों के कुछ नुकसान और अड़चनें भी हैं, जिन्हें ईमानदारी और उचित तैयारी के साथ हल करने की आवश्यकता है। परिवर्तन को अपनाने के लिए, उपयोगकर्ताओं को प्रौद्योगिकी के प्रति आश्वस्त, सहज और भरोसेमंद होना चाहिए। काफी लोगों द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति के साथ बातचीत को महत्व दिया जाता है और न केवल नागरिकों के बीच बल्कि सरकार के विभिन्न संवर्गों में भी बदलाव का विरोध होता है। लोग सोचते हैं कि खराब सेवा के लिए प्रौद्योगिकी को दोष देना अक्सर आसान होता है। एक और प्रमुख बाधा उपयोगकर्ताओं की साक्षरता और कंप्यूटर का उपयोग करने की क्षमता है। जो उपयोगकर्ता पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता होगी। आमतौर पर वरिष्ठ नागरिक बहुत ज्यादा कंप्यूटर साक्षर नहीं होते हैं। ग्रामीण या दूरस्थ स्थान पर, बिचौलिए/दलाल जानकारी को विकृत करने और रिसाव को बढ़ावा देने के लिए गुंजाइश बना सकते हैं। अभी भी नागरिकों द्वारा कंप्यूटर तकनीक तक असमान पहुंच और डिजिटल डिवाइड एक मुद्दा है।

CSCs निश्चित रूप से इन सभी परिदृश्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उन्हें बिचौलिया बनने से रोकने के लिए उन पर नियंत्रण की आवश्यकता है। इसके अलावा, CSC ऑपरेटरों को उनके द्वारा सौंपे गए विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगातार प्रशिक्षित करने

की आवश्यकता है। मार्च 2019 के महीने में, 'उन्नति' ने राजस्थान में पूरे बाड़मेर जिले के CSC ऑपरेटरों को सार्वजनिक कार्यक्रमों की जानकारी के लिए 'यूरोपीय संघ' समर्थित परियोजना के तहत प्रशिक्षित किया था। उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों की स्थिति पर लोगों के प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर प्रदान करने के लिए जिनके वे हकदार हैं और यदि कोई हो, तो शिकायत दर्ज करने के लिए सरकारी वेबसाइट और पोर्टल को नेविगेट करने के लिए जानकार बनाया गया। यह प्रशिक्षण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित था। बीचबीच में प्रशिक्षणों के अलावा, उनके पास वितरण प्रक्रियाओं में अंतराल पर प्रशासन के साथ रचनात्मक सीखने और संलग्न करने के लिए सहकर्मी मंच होना चाहिए। उन्हें योग्य लोगों की पहचान के लिए सरकारी वेबसाइटों और पोर्टलों पर उपलब्ध कराई गई जानकारी का उपयोग करने और उन्हें आवेदन करने और कार्यक्रमों तक पहुंचने में मदद करने के लिए सीखने की जरूरत है। इसी के साथ, उन्हें आवेदन करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब तक नागरिक को सार्वजनिक कार्यक्रम का लाभ नहीं मिल जाता है, तब तक उसका फॉलोअप करना चाहिए। उन्हें शिकायतें करने में नागरिकों की मदद करने से भी नहीं बचना चाहिए। हालांकि CSC भी पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर काम करते हैं, लेकिन उनके दायरे को बढ़ाने और उनकी भूमिका को वास्तविक रूप देना तभी संभव हो सकता है, जब सरकार प्रशिक्षण और प्रतिक्रिया के लिए नागरिक समाज संगठन का सहयोग ले।

राजस्थान सरकार की ईमित्र प्लस पहल ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वचालित स्वसहायता कियोस्क तैनात किए हैं। सेवा कार्यालयों में लंबी कतारों और समय लेने वाली प्रक्रियाओं से बचते हुए नागरिक अब अपने आधिकारिक दस्तावेजों को स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। इसने नागरिक संतुष्टि में काफी सुधार किया है और गलत संचालन को कम किया है। प्रत्येक स्वयं सेवा कियोस्क में दो स्क्रीन होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव वीडियो प्रसारण और विज्ञापनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एकीकृत वक्ताओं और माइक से दोतरफा से संचार हो सकता है। सिस्टम के सामने का दूसरा फलक मुख्य कामकाज इकाई है। यहां, चयनित आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हैं। इनपुट साधारण बटन प्रेस या टचस्क्रीन कंट्रोल के माध्यम से दिए जाते हैं। एक एकीकृत प्रिंटर, मौके पर दस्तावेजों को प्रिंट करता है। आवेदक को पास के कार्यालय में दस्तावेजों के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन पर, या तो एक मौजूदा पहचान संख्या (जैसे आधार नंबर, पैन, आदि) या आवेदक को ओटीपी प्रदान किया जाता है। इसका उपयोग संबंधित दस्तावेज़ को प्रिंट करने के लिए कियोस्क के लिए इनपुट के रूप में किया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित सेवा के साथ शुल्क जुड़ा हो सकता है। इसे कियोस्क के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है जैसे नकद, डेबिट कार्ड, केडिट कार्ड या किसी अन्य विधि के माध्यम से।

हालांकि, उन्हें संचालित करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। ई-सखी प्रशिक्षण या प्रत्येक ग्राम पंचायत की कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण देना और उन्हें डिजिटल साक्षरता फैलाने की भूमिका सौंपना भी राजस्थान सरकार द्वारा उठाया गया एक सक्षम कदम था। नई प्रणालियों के मूल्य के बारे में शिक्षा और जागरूकता मौजूदा प्रतिरोध को कम करने की दिशा में एक कदम है। निरंतर उपयोग केवल तभी उन्नत हो सकता है जब सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो कि लोग बिचौलियों पर निर्भरता के बिना इसे आसान और सरल तरीके से उपयोग कर सकें। ■

राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सुधार करना

यह लेख 'सार्वजनिक कार्यक्रमों / योजनाओं पर जानकारी तक पहुंच' पर यूरोपीय संघ समर्थित परियोजना के तहत बाडमेर जिले में 'उन्नति' के काम के अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है। सार्वजनिक योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए सूचना एवं रोजगार (SR) अभियान के तहत संयुक्त पहल के रूप में राज्य स्तरीय अभियान शुरू किया गया था। 'उन्नति' ने क्षेत्र में अभियान चलाया और गवाही एकत्र की और आईटी पोर्टल और वेबसाइट में सूचना के प्रकटीकरण का मजबूत मामला तैयार करने के लिए अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया। **स्वप्नी शाह**, सीओओ, 'उन्नति', राजस्थान कार्यालय ने इस लेख को तैयार किया है।

बाड़मेर जिले के सिंधरी ब्लॉक से कामथई गांव के दिहाड़ी मजदूर, नारायणराम के परिवार में सात सदस्य हैं जो उनकी मामूली और अनियमित आय पर निर्भर थे। उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) में शामिल नहीं किया गया था। नारायणराम को हृदय रोग हो गया और उनको बताया कि ऑपरेशन का खर्चा कम से कम 2.5 लाख रुपए होगा। नारायणराम ने यह सोचकर बिस्तर पकड़ लिया कि वह कभी भी ऐसा ऑपरेशन नहीं करवा सकता और आने वाली मौत के लिए तैयार हो गया, जबकि परिवार खाने-पीने के लिए रोजाना संघर्ष करने लगा। आउटरीच कार्यक्रम के दौरान यह मामला 'उन्नति' के ध्यान में आया और अपील अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया। परिवार को NFSA में शामिल किया गया। नारायणराम भी एक पैसा खर्च किए बिना भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (BSBY) के माध्यम से सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन करवा सका। जैसा कि पता है, प्राथमिकता वाले प्रत्येक परिवार को प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार सदस्य और अंत्योदय (बहुत गरीब, निराश्रित) परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हकदार हैं। राजस्थान में, NFSA लाभार्थी स्वतः भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (BSBY) के पात्र हैं, जो गरीब परिवारों के लिए 3 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की स्वास्थ्य बीमा सहायता योजना है।

2014 में परिवार सर्वेक्षण के दौरान, यह पाया गया कि 85 प्रतिशत पात्र परिवार PDS का लाभ प्राप्त कर रहे थे, लेकिन लगभग सभी (97.5 प्रतिशत) को अपना पूरा हक नहीं मिल रहा था। इसका कारण स्पष्ट नहीं था। कई परिवारों को, यहां तक कि अंत्योदय कार्ड धारकों को कोई राशन नहीं मिला था। उन्हें डीलरों ने बताया था कि उनके नाम लाभार्थी सूची में नहीं थे। मार्च 2015 में हमारे आउटरीच अभियान 'सूचना स्वाभिमान यात्रा' के दौरान सभी गांवों में यही समस्या सामने आई। राजस्थान के अन्य CSO के साथ बातचीत में, हमने पाया कि समस्या राज्यव्यापी थी।

क्षेत्र स्तरीय सत्यापन किया गया और पात्रता की तुलना परिवारों द्वारा प्राप्त मात्रा और राशन कार्डों में दर्ज प्रविष्टियों से की गई जो मेल नहीं खा रही थी। पंचायत, डीलरों और जिला अधिकारियों द्वारा अलग-अलग उत्तर दिए गए लेकिन कोई हल नहीं मिल पाया था। यह बताया गया कि राशन कार्ड में इकाइयां कम हो गईं क्योंकि 2011 में SECC सर्वेक्षण के बाद पैदा हुए बच्चों के नाम नहीं जोड़े गए थे। यह भी बताया गया कि सभी लाभार्थियों से 2 या 3 इकाइयों की एकसमान कटौती की गई थी ताकि राशन का लाभ ज्यादा लोगों को प्रदान किया जा सके क्योंकि पहले राशन प्राप्त करने वाले कई BPL परिवारों को NFSA के तहत प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया गया था। जब सरकारी आदेश दिखाने को कहा तो बताया गया कि यह सरकार के मौखिक निर्देशों के अनुसार किया गया था। कुछ डीलरों ने टाइप की गई लाभार्थी सूचियों को भी दिखाया, जिनमें पात्रता को लिखित में कम किया था और पंचायत और जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) द्वारा उन पर हस्ताक्षर किया गया था। ये बहाने संतोषकारक नहीं थे और कोई ठोस सबूत नहीं था।

राजस्थान ने सितंबर 2013 तक लाभार्थी परिवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के साथ अक्टूबर 2013 में NFSA को लागू कर दिया था। 'समावेशन' और 'बहिष्करण' मानदंड विशेष कार्यदल द्वारा तैयार किए गए थे और लाभार्थी सूची ग्राम सभा में बनाई गई थी।

लाभार्थी सूची 5.46 करोड़ तक पहुंच गई जो राजस्थान के लिए 69 प्रतिशत की सीमा से 1 करोड़ अधिक थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव दिसंबर 2013 में आयोजित किए गए और सरकार बदल गई। 'बहिष्करण' मानदंडों को और अधिक कठोर बनाया गया था। कुछ प्रक्रियाओं के माध्यम से NFSA लाभार्थी सूची से नाम हटा दिए गए थे जो किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। यह संख्या 4.26 करोड़ रह गई थी। आज यह लगभग 4.5 करोड़ है।

राजस्थान सरकार ने इस पहल के लिए नोडल के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT) के साथ सभी विभागों में बैक ऑफिस कार्यों का डिजिटलीकरण शुरू किया था। उन्नति ने कई विभागों के लिए सार्वजनिक डोमेन और भौतिक स्थानों पर डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई गई जानकारी का अध्ययन किया। इस अध्ययन के निष्कर्षों को सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से स्व-प्रकटीकरण की स्थिति पर 9 जनवरी, 2016 को आयोजित कार्यशाला में DoIT के साथ साझा किया। इन निष्कर्षों को राजस्थान में काम करने वाले CSO के साथ भी साझा किया गया था ताकि उनके सुझाव प्राप्त किए जा सकें।

DoIT ने इस प्रयास की सराहना की और सार्वजनिक कार्यक्रमों के तहत पात्रता के बारे में सूचना प्रकटीकरण पर सुझावों को लागू करने का आश्वासन दिया क्योंकि इससे अंततः कार्यक्रम लाभार्थियों को फायदा होगा और सबसे अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी और उत्तरदायी तरीके से सार्वजनिक कार्यक्रमों तक पहुंचने के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाएंगे। DoIT ने सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी की समीक्षा करने का भी सुझाव दिया। राजस्थान में काम कर रहे CSO को इस उद्देश्य के लिए छोटे कार्य समूहों में विभाजित किया गया ताकि उपलब्ध जानकारी की समीक्षा की जा सके और प्रकटीकरण के लिए प्रारूपों को तैयार किया जा सके। उन्नति ने शुरू में PDS, पेंशन और पालनहार योजना प्रकटीकरण की ज़िम्मेदारी ली थी।

DoIT के पास पात्रता के साथ NFSA लाभार्थियों की सूची थी और उन परिवारों की भी सूची थी जिन्होंने 3 महीने से अधिक लेकर एक वर्ष से अधिक तक PDS राशन का लाभ नहीं लिया था। इन परिवारों को स्थगन सूची में रखा गया था और उनके राशन निलंबित कर दिए गए थे। उन्नति ने कुछ गांवों की सूचियों की प्रतियां मांगी और गांव के स्तर पर जन सुनवाई के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया। सूचियों को चार्ट पेपर पर बड़े अक्षरों में लिखा गया था और गांव में सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया गया था। उन्हें ग्रामीणों की सभा के सामने भी पढ़ा गया था। सभी गांवों में, लोग आगे आए और पूरी पात्रता प्राप्त नहीं होने के प्रमाण दिए। यह पाया गया कि जिन परिवारों को हकदारी के लिए मना किया था उनके नाम स्थगन सूची में नहीं हैं। यह PDS डीलरों द्वारा पात्रताओं को नकारने की एक चाल थी। यह उल्लेखनीय है कि PDS डीलरों ने 2016 में राजस्थान में लागू प्वाइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों और बायोमेट्रिक सत्यापन के उपयोग का विरोध किया था।

FPS विभाग के सचिव को उदाहरण और साक्ष्य बताए गए थे, इससे वे पोर्टल पर लाभार्थी और स्थगन सूचियां रखने के लिए आश्वस्त हो गए थे। पात्रता के साथ श्रेणीवार लाभार्थी सूची उचित मूल्य की दुकानों (FPS) की दीवार पर पेंट करने या उसके बाहर फ्लेक्स पर रखने के आदेश दिए गए थे। आदेश में उल्लेख किया गया था कि दीवार लेखन या फ्लेक्स में स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि परिवार में सदस्यों की संख्या के अनुसार राशन दिए जाएंगे और पात्रता में कटौती नहीं की गई है। एक आदेश भी जारी किया गया कि जिसमें बताया गया था कि विभाग पोर्टल पर रखी गई सूची अंतिम लाभार्थी सूची है और अन्य किसी सूची को नहीं माना जाएगा। हमने इन सरकारी आदेशों (GOs) की एक प्रति और लाभार्थी और स्थगन सूचियों को नागरिक नेताओं के साथ साझा किया जो गांव-गांव जाकर लोगों को जानकारी प्रदान करते थे और जन सुनवाई आयोजित करते थे। अधिकांश गांवों में, नागरिकों ने स्थानीय कार्यवाही की और डीलरों से अपना हक प्राप्त किया।

इस प्रक्रिया के दौरान, PDS में प्रचलित बड़े पैमाने पर चोरी करने के ढंग को समझ लिया गया। प्रत्येक राशन कार्ड से इकाइयों को कम करते हुए, डीलर लाभार्थी के राशन कार्ड पर नई इकाई लिख रहे थे, रसीदें जारी नहीं करना जैसी कुछ प्रथाएं हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर अनियमितताएं होती हैं। लाभार्थियों को पात्रता से कम मात्रा दी गई थी और PDS स्टॉक डीलर द्वारा ब्लैक-मार्केट में बेचा जा रहा था। इस पर उदाहरण और साक्ष्य एकत्र किए गए और 15 जून, 2017 को सचिव, FPS के साथ साझा किया गया। हमारे दो नागरिक नेता भी हमसे जुड़ गए और अपने साक्ष्य दिए। यह बहुत मजबूत था। इससे लाभार्थीवार राशन उठाने वाले लेजर को सार्वजनिक करने के लिए आवश्यक दबाव बन गया। नागरिक नेताओं ने पोर्टल food.raj.nic.in

से उनके राशन उठाने की ऑन-लाइन रिपोर्ट की जांच और पुष्टि करना शुरू कर दिया। नागरिक नेताओं और कई अन्य लोगों ने डीलर और मांग के अधिकारों का पर्दाफाश करने के लिए अपनी खाता जानकारी का उपयोग किया। यह राज्य भर में एक आंदोलन बन गया और हालांकि सरकार ने सरकारी जन सुनवाई के दौरान ध्यान में लाए कुछ मामलों को छोड़कर दोषी डीलरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन चोरी लगभग बंद हो गयी। कई अन्य नाफरमानी भी ध्यान में आई जैसे डीलर अपने लाभार्थियों के खातों को अपने मोबाइल नंबर के साथ सीडिंग कर रहा है ताकि OTP या उठाने के संदेशों को रोका जा सके। हमारे नागरिक नेताओं ने लोगों को रसीद मांगने, आधार जानकारी में अपने स्वयं के मोबाइल नंबरों की मांग करने और यदि उनके बॉयोमीट्रिक्स पंजीकृत नहीं होते हैं तो PDS तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक तंत्र का सहारा लेने के बारे में सूचित किया। वैकल्पिक प्रक्रिया के व्यापक विज्ञापन के लिए 4 अप्रैल, 2018 को राज्य द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया था।

आज, 'सार्वजनिक योजनाओं पर जानकारी तक पहुंच' पर यूरोपीय संघ समर्थित परियोजना पर जिन दो ब्लॉक में 'उन्नति' कार्य कर रही है उनमें चोरी लगभग बंद हो गई है और यह सुना गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में कई स्थानीय कार्रवाइयां की गई हैं। लोग राशन उठाने के लिए रसीद की मांग करते हैं और उन्हें मिलती है। अगर उनके बॉयोमीट्रिक्स पंजीकृत नहीं होते हैं तो लोगों को राशन का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक तंत्र के बारे में पता है। राजस्थान के खाद्य पोर्टल में MGNREGA पोर्टल के समान सार्वजनिक डोमेन में सबसे अद्यतन और विविध जानकारी है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग (DoF&CS) सार्वजनिक डोमेन में जानकारी डालने के लिए तैयार हो गए हैं और कई अन्य रिपोर्ट अब उपलब्ध हैं जिनका उपयोग सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए किया जा सकता है। हाल ही में, FPS, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर सामाजिक ऑडिट और निगरानी समितियों के गठन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं। लाभार्थीवार राशन उठाने के लिए वार्षिक दीवार-लेखन के लिए सरकारी आदेश जारी किया गया है। विभाग उस अवधि को बढ़ाने के लिए सहमत हुआ जिसके बाद लाभार्थी का राशन समाप्त हो जाएगा (अवधि 3 महीने से 1 वर्ष तक बढ़ी है)। यह उन बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए राशन मित्र या उम्मीदवार नामित करने के विकल्प का पता लगाने पर सहमत हुआ है, जिन्हें हर महीने राशन की दुकान में जाने में कठिनाई होती हैं। लाभार्थी शामिल करने के लिए विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के लिए सहमति दी गई। जिन पूर्ववर्ती BPL, राज्य BPL और अंत्योदय को बाहर कर दिया गया था, उन सबको तत्काल शामिल किया जाएगा। SDM के पास लंबित अपीलों का तत्काल निपटान करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

काम अभी भी बाकी है और सार्वजनिक डोमेन में काफी जानकारी की आवश्यकता है। सरकारी आदेशों के बावजूद डिलीवरी स्थानों पर भौतिक रूप में उचित प्रकटीकरण अभी भी कम है। यह पता चला है कि समस्याओं को हल करने के लिए प्रणालीगत समाधान लाने के लिए लोगों के अनुभव से इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है जिनके लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है। यह पहुंच की प्रणाली को सरल बनाता है और इसका व्यापक प्रभाव होता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधार के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकार के साथ सहयोग और बातचीत आवश्यक है। मांग को मजबूत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मजबूत साक्ष्यों और गवाहियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है और कुल मिलाकर, वे सरकार के फीडबैक तंत्र पर प्रभाव छोड़ने में सफल होते हैं। ■

सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनः गुजरात में दिव्यांगो को सार्वजनिक योजनाओं तक पहुंचाने के प्रयास (2014-2018)

- दीपा सोनपाल, प्रोग्राम कोर्डिनेटर 'उन्नति'

औचित्य

संविधान में समान नागरिक अधिकारों का वर्णित होना, उन व्यक्तियों को पहचान और न्याय की मांग करने में सक्षम बनाता है जिनसे भेदभाव किया गया है। घोर बहिष्कार और गरीबी के कगार पर खड़े होने के कारण, बच्चों और महिलाओं सहित दिव्यांगो को सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण उपायों की आवश्यकता होती है ताकि वे सम्मानित जीवन जी सकें। विकलांगता पर वैश्विक रिपोर्ट 2011 (WHO) के अनुसार, दुनिया में दिव्यांगों की आबादी 15 प्रतिशत है। जनगणना और NSSO के अनुसार भारत में इसके अनुमान में लगभग 2 प्रतिशत की भिन्नता है। बिल्डिंग इकोनॉमिक रिकवरी पर हाल ही की वैश्विक सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय 2014-15 (ILO) का दावा है कि दुनिया की केवल 27 प्रतिशत आबादी को ही पूरी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो रही है और भारत में यह कवरेज इससे भी कम हो सकती है। विकलांग व्यक्ति सबसे गरीब हैं और दिव्यांगता गरीबी का कारण और परिणाम है। गरीबी, साक्षरता के निम्न स्तर, वातावरण में बाधाएं - सामाजिक संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और भौतिक सीमित पहुंच विकास प्रक्रिया में दिव्यांग लोगों के योगदान को सीमित करती है। इसलिए, प्रशासन तंत्र के साथ नीतिगत वातावरण में सुधार की जरूरत है ताकि विकलांग लोग अन्य लोगों की तरह ही समानता के आधार पर जीवन जी सकें जैसा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अग्रणी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRPD) में वर्णित है। EU द्वारा समर्थित और उन्नति द्वारा लागू पिछड़े जिले में सार्वजनिक योजनाओं तक पहुंच में सुधार लाने वाली परियोजना (2014 - 2018) का लक्ष्य कमजोर समूहों जैसे दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक योजनाओं तक पहुंच की समस्या को हल करना है।

दिव्यांग व्यक्तियों को कमजोर लोगों में भी सबसे कमजोर माना जाता है। वातावरण में बाधाओं के कारण दिव्यांग और उनके परिवार के सदस्यों के लिए सरल कार्य जटिल हो जाते हैं और परिवार के सदस्य थक जाते हैं या निराश हो जाते हैं और इसे भाग्य या किस्मत पर छोड़ देते हैं। सार्वजनिक योजनाओं के लाभ प्राप्त करना कठिन कार्य बन जाता है और अक्सर दिव्यांग व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं तक बहुत कम या बिना पहुंच के साथ अपने घरों में पड़े रहते हैं। किसी भी सामाजिक संरक्षण और सुरक्षा योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों को सबसे पहले एक विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जिसमें कम से कम 40 प्रतिशत अक्षमता दर्शाई गई हो। इस प्रमाण पत्र में विकलांगता की प्रकृति और सीमा का उल्लेख रहता है। गुजरात सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से किसी भी विशेष अवस्था में अधिकृत चिकित्सक या सिविल सर्जन द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। ये प्रमाण पत्र जिला अस्पताल और तालुका/ब्लॉक स्तर पर आयोजित शिविरों के माध्यम से जारी किए जाते हैं। गुजरात में इसके बाद दिव्यांग व्यक्तियों के पास पहचान पत्र होना चाहिए जो सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी बस पास के रूप में भी काम करता है जो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के अधीन आता है।

समुदाय और स्कूलों, विशेष रूप से विकलांग लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैनात विशेष शिक्षकों से निपटने वाले सर्व शिक्षा अभियान के कर्मचारियों के साथ हमारी प्रारंभिक बातचीत से विकलांगता शिविरों में खिन्न स्थिति का खुलासा होता है। औसतन जिले और राज्य में प्रमाणन की दर प्रति शिविर 2 - 4 व्यक्ति थी। जनगणना डेटा के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के प्रमाणीकरण की राज्यव्यापी दर खराब है और अन्य राज्यों की तुलना में देश में सबसे कम है। PWD अधिनियम 1995 के तहत 22 वर्षों के बाद सात विकलांगताओं के लिए प्रमाणीकरण की अखिल भारतीय दर केवल 49.5 प्रतिशत है (सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2015-16)।

परिवर्तन प्रभावित

स्थूल और सूक्ष्म परिस्थिति का विश्लेषण करने से पता चलता है कि सार्वजनिक योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने के लिए दिव्यांग लोगों को सक्षम करने के लिए अक्षमता प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को मानवीयता के साथ सरल करने की आवश्यकता है और अधिकारियों की संवेदनशीलता कई गुना बढ़ने की जरूरत है। यदि किसी भी योजना के लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को योजना में बताई गई 'वास्तविकता' से सहसंबंधित करना हो और 'कानूनी' प्रक्रिया से मेल खाना हो तो हम यह देख सकते हैं कि ऐसी असंख्य बाधाएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के पास स्पष्ट (दृश्यमान) विकलांगताओं के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने का अधिकार है। लेकिन अक्सर PHC डॉक्टर आत्मविश्वास महसूस नहीं करते हैं या कहना चाहिए कि विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। अगला विकल्प सिविल अस्पताल द्वारा आयोजित शिविर में जाना है। गुजरात में इन्हें जिला सिविल अस्पताल द्वारा प्रत्येक तालुका के लिए साल में एक बार ब्लॉक/तालुकावार आयोजित किया जाता है। अक्सर कम जागरूकता के कारण लोग शिविर में नहीं आते हैं। शिविर स्थल तक विकलांग व्यक्तियों को लाना-ले जाना बहुत मुश्किल है और सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। दिव्यांग व्यक्ति किसी भी तरह शिविर स्थल तक पहुंच जाएं, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी विशेषज्ञ शिविर में उपलब्ध हों। अक्सर कम साक्षरता के स्तर के कारण दिव्यांग व्यक्ति और उनके परिवार पासपोर्ट आकार की फोटो या BPL कार्ड ले जाना भूल जाते हैं जिसमें अक्षमता वाले व्यक्ति का नाम सदस्य के रूप में शामिल होता है। कम सुनने वाले व्यक्तियों के लिए अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले ऑडियोग्राम किया जाना आवश्यक है। इस मशीन की सुविधा जिला स्तर पर भी अक्सर उपलब्ध नहीं होती है और केवल राज्य स्तरीय सिविल अस्पताल में उपलब्ध है क्योंकि इसके लिए साउन्ड प्रूफ कक्ष के साथ-साथ ऑडियोलॉजिस्ट की सेवाओं की भी आवश्यकता होती है।

इसलिए, पहला और सबसे महत्वपूर्ण यह जरूरी समझा गया कि विकेंद्रीकृत तंत्र के माध्यम से अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रोटोकॉल स्थापित किया जाए, जहां प्रशासन दिव्यांग व्यक्तियों के दरवाजे पर पहुंचने का प्रयास करे। एक प्रायोगिक आधार पर प्रोटोकॉल में शामिल होने वाली सभी सुविधाओं को वास्तव में जिला प्रशासन के सहयोग से लागू किया गया था। 25 नवंबर, 2014 को साबरकांठा के कलेक्टर को विकलांगता के लिए शिविरों में अक्षमता प्रमाणीकरण जारी करने के लिए अधिकारों के उपयोग के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए एक पत्र प्रस्तुत किया गया था। दिव्यांग व्यक्तियों को गहन बहिष्कार का अनुभव होता है और वे अक्सर घर के भीतर अलग-थलग रहते हैं, अतः विकलांगता की पहचान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दिव्यांग लोगों (महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों) के लिए पात्रता को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम सुझाए गए थेः

1. यह प्रस्तावित किया जाता है कि गांव स्तर पर विभिन्न सरकारी कर्मचारियों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक, आशा कार्यकर्ता, स्कूल शिक्षकों/प्रधानाचार्यों और संसाधन शिक्षकों समेत ब्लॉक/क्लस्टर संसाधन केंद्रों के कर्मचारियों को दिव्यांग बच्चों की शुरू में ही पहचान करने के लिए संवेदनशील बनाया जाए और अधिक जानकार किया जाए। इन प्रशिक्षणों को तालुका स्तर पर एक सुविधाजनक दिन पर आधे दिन के लिए आयोजित किया जा सकता है (प्रत्येक तालुका की तारीख कुछ महीनों की अवधि में तय की जा सकती है) इसमें प्रति प्रशिक्षण लगभग 150 व्यक्तियों की अधिकतम भागीदारी हो सकती है। इस कार्य को संचालित करने के लिए ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन (अंधजन मंडल), अहमदाबाद ने इन प्रशिक्षणों को मानद आधार पर आयोजित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, सिर्फ संसाधन व्यक्तियों के लिए परिवहन/वाहन लागत के लिए प्रतिपूर्ति करनी होगी। तालुका स्तर पर आतिथ्य की व्यवस्था करनी होगी। प्रशिक्षण के दौरान इस्तेमाल करने के लिए एक PPT और चेकलिस्ट साथ में दी गई है। प्रशिक्षण विधियों में सिमुलेशन/अनुभव अभ्यास और श्रव्य/दृश्य सामग्री का प्रदर्शन शामिल होगा। यह देखा गया है कि, अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने वाले शिविरों में, दोनों अधिकृत विशेषज्ञों (विशेषज्ञों को सुबह और शाम की OPD में उपस्थित रहना पड़ता है और दोपहर के बाद अक्षमता शिविर आयोजित करना होता है इसलिए वे काम के बोझ और तनाव से ग्रस्त रहते हैं) और दिव्यांग व्यक्ति और उनके परिवारों को कठिनाइयों (शिविर स्थल तक अपने आप पहुंचना एक चुनौती है और शिविर के बारे में कोई समय पर जानकारी नहीं मिलती) का सामना करना पड़ता है।

2. दिव्यांग व्यक्तियों और उनके साथ आने वालों - एस्कॉर्ट्स (वयस्कों के मामले में एक और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के मामले में दो व्यक्ति) के लिए परिवहन सहायता प्रदान करने के लिए जिले में सभी PHC के लिए एक परिपत्र जारी करना। शिविर के दिन निकटतम CHC तक पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था PHC डॉक्टर द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन द्वारा या समिति (रोगीकल्याण समिति या ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति) फंड से वाहन किराए पर लिया जा सकता है। वाहन खर्च से संबंधित शुल्क सरकारी मानदंडों के अनुसार हो सकता है।
3. चिकित्सा, अग्नि शमन और पुलिस सेवाओं के लिए मोबाइल वैन/एम्बुलेंस सेवाओं के उपयोग के लिए एक परिपत्र जारी करना - 108 का उपयोग दिव्यांग लोगों और उनके एस्कॉर्ट्स को गांव/पंचायत से PHC/CHC तक साथ जाने के लिए किया जाए।
4. विजयनगर और पोशिना तालुका में कई गांव/पंचायत बरसात के मौसम के दौरान नदियों के उफान के कारण अलग-थलग पड़ जाते हैं। इसलिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शिविर हर साल जुलाई-अक्टूबर के महीनों के दौरान आयोजित नहीं किए जाने चाहिए।
5. सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा पहचान पत्र जारी करने के लिए व्यवस्था शिविर के दिन ही की जानी चाहिए। टीम को वेबकैम और कंप्यूटर के साथ आना चाहिए ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न आकारों (दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए पासपोर्ट आकार और पहचान पत्र के लिए पोस्टकार्ड आकार) के फोटोग्राफ नहीं देने पड़े।
6. 2007 में एक GR जारी किया गया था जिसके अनुसार BPL कार्डधारकों को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है और पहचान पत्र जारी करने के फॉर्म में भी इसका उल्लेख जारी है।
7. हर जिले में शिविरों की संख्या में वृद्धि की जाए और विशेषज्ञों को शिविर के दिन केवल सुबह के OPD में उपस्थित रहने के लिए कहा जाए ताकि वे प्रमाणीकरण पर अच्छे से ध्यान दे सकें।
8. शिविर के पहले और उसके दौरान अतिथि विशेषज्ञों को सहायता प्रदान करने के लिए CHC की भूमिका की रूपरेखा तैयार करना और शिविर के बाद सर्जरी/उपचार की आवश्यकता वाले मरीजों को याद दिलाते रहना।
9. विभिन्न एजेंसियों और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा पहचाने गए व्यक्तियों के लिए सहायक साधनों और उपकरणों के वितरण के लिए तालुका स्तर पर शिविरों का आयोजन करना।
10. अंत्योदय कार्ड के साथ प्रति वर्ष 47,000 रुपये से कम आय वाले दिव्यांग व्यक्तियों को सक्षम करने के लिए परिपत्र जारी करना ताकि वे भोजन के अधिकार को हासिल कर सकें।
11. कम सुनने वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन की सुविधा के लिए जिला सिविल अस्पताल में पूर्णकालिक ऑडियोलॉजिस्ट के साथ एक ऑडीमेट्रिक रूम की स्थापना करना।

साथ ही, 2014 और 2015 में प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग को उपरोक्त सुझाव भी लिखित में दिए गए थे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमने-सामने बैठकें भी आयोजित की गई थीं। इसके अलावा राज्य में दिव्यांग लोगों के लिए सरकारी योजनाओं और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव भी दिए गए थे:

i. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लाभ एक विशिष्ट आय सीमा (वर्तमान में प्रति वर्ष 2,50,000 रुपये) के मानदंडों के भीतर प्रदान किए जाते हैं, इसलिए BPL कार्ड रखने के अतिरिक्त मानदंड हटाए जा सकते हैं।
ii. यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि SJE विभाग ने गुजरात के लिए विकलांगता नीति तैयार की है जिसके लिए हमने काम किया था और जनवरी 2013 में विभाग को एक मसौदा प्रस्तुत किया गया था और देश में दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के फीडबैक सहित एक संशोधित संस्करण सितंबर 2013 में प्रेजेंटेशन (PPT) के साथ प्रस्तुत किया गया था। राज्य में NGO और DPO के परामर्श से औपचारिक रूप से इसे मंजूरी देने का अनुरोध किया जाता है।

जनवरी-मार्च 2015 के दौरान, साबरकंठा जिले के आठ तालुका/ब्लॉक के 1908 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन (BPA), अहमदाबाद के सहयोग से शुरुआत में ही विकलांगता की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। जिला विकास अधिकारी (DDO) ने कार्यक्रम अधिकारी (PO)

ICDS के माध्यम से इन प्रशिक्षणों के संचालन के लिए एक बजट को मंजूरी दी जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भोजन और यात्रा शामिल थी और BPA से संसाधन व्यक्तियों की यात्रा शामिल थी। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने संबंधित तालुकों/ब्लॉक में दिव्यांग बच्चों की पहचान की और इन तालिकाओं में शिविर आयोजित किए जाने पर इन बच्चों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की ज़िम्मेदारी ली। अकेले पोशिना और विजयनगर में उस वर्ष बाद में आयोजित विकलांगता शिविरों में 500 से अधिक लोग पंजीकृत किए गए और 250 से अधिक लोगों को एक शिविर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। जिला और तालुका प्रशासन के सहयोग से दिव्यांग लोगों, विशेष रूप से जिनके उंगलियां, अंगूठे और दृश्यमान पुतलियां नहीं थी उनके लिए शिविर स्थल पर भी आधार कार्ड जारी करने की व्यवस्था की गई थी। UIDAI के पर्यवेक्षी कर्मचारियों के पास दिव्यांग व्यक्तियों के मामलों में अन्य दृश्य पहचान लेने के विकल्प प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसा पहली बार हुआ था कि दिव्यांग व्यक्ति राज्य में अपना आधार कार्ड प्राप्त कर सके थे। इससे पहले दिव्यांग लोगों को आधार पंजीकरण से इंकार कर दिया गया था। इसके बारे में कलेक्टर को प्रतिवेदन दिया गया था और मामलतदार ने अलग किट और पर्यवेक्षी स्तर के कर्मचारियों की उपस्थिति की व्यवस्था में विशेष रुचि ली थी ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को आधार कार्ड जारी किये जा सकें।

उसी वर्ष 2015 में, जिले में हमारे अनुभवों के आधार पर, विकलांगता शिविर आयोजित करने के लिए प्रोटोकॉल की स्थापना के लिए आवेदन फिर से गुजरात सरकार के निदेशक सामाजिक सुरक्षा, प्रधान सचिव सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण और प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को प्रस्तुत किए गए थे। संबंधित विभागों के साथ निरंतर बातचीत के परिणामस्वरूप वर्ष 2016 में कई बदलाव हुए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आयुक्त द्वारा विकलांगता शिविर आयोजित करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक परिपत्र औपचारिक रूप से 29 जनवरी, 2016 को जारी किया गया था जिसमें विकलांगता की शुरू में ही पहचान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और FHW के प्रशिक्षण, ऑडीमेट्री के लिए प्रावधान, शिविर में भाग लेने वालों के लिए परिवहन सहायता, शिविर स्थल पर तैयारी शामिल थे। परिपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि कैंप साइट पर व्यवस्था करने के लिए स्थानीय स्तर के स्वास्थ्य सेवा वितरण संस्थान - प्रत्येक तालुका/ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की ज़िम्मेदारी है। यह जिला गुणवत्ता आश्वासन चिकित्सा अधिकारी - DQAMO द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। भावी लाभार्थियों - दिव्यांग व्यक्तियों को लाना-ले जाना आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना है। मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी (CDHO) और मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (CDMO) द्वारा परिवहन व्यवस्था की जानी है। विकलांगता की शुरुआती पहचान पर प्रशिक्षण सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ANM को प्रदान किया जाना था। सुनने में कमी के लिए ऑडियोमेट्री परीक्षण करने के लिए ऑडियोलॉजिस्ट की सुविधाएं CDMO द्वारा या तो शिविर स्थल पर की जानी चाहिए या ऑडीमेट्रिक परीक्षण करने और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्दिष्ट तारीख पर जिला स्तर पर पहचाने जाने वाले श्रवण विकलांग व्यक्ति को ले जाने की व्यवस्था करना है। इस परिपत्र की सहायता से आज तक पोशिना और विजयनगर दोनों तालुक/ब्लॉक में 745 दिव्यांग लोगों को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है और 250 व्यक्तियों को पहचान पत्र/बस पास जारी किया गया है।

उसी वर्ष 21 अप्रैल, 2016 को सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पहचान पत्र/बस पास प्राप्त करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आय सीमा के मानदंडों को हटाने के लिए एक परिपत्र जारी किया। इस कदम ने राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहचान पत्र और बस पास प्राप्त करना आसान बनाया क्योंकि अधिकांश दिव्यांग व्यक्ति नियोजित नहीं हैं और उनकी व्यक्तिगत आय नहीं है। इसके बाद मई 2018 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए तीन अन्य योजनाओं - साधन और उपकरण, विवाह और पोलियो से प्रभावित व्यक्तियों से संबंधित शल्य चिकित्सा के लिए आय मानदंड हटाया गया।

ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी और कई तरह की विकलांगता वाले लोगों के लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के तहत 10 योजनाओं का एक-पेजी सार गुजराती में BPA के सहयोग से तैयार किया गया था और वर्ष 2016 में गुजरात के जिला स्तर पर सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किया गया था।

सभी विकलांग लोगों के लिए विकलांगता प्रमाण और पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए बाधाओं को पार करने के बाद, सार्वजनिक योजनाओं के वास्तविक लाभ प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को गुजरात में अप्रैल 2016 में लागू किया गया था। इस दिशा में पहला प्रयास राज्य

NFSA के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करना था। एक नया परिपत्र स्पष्ट करता है कि 40 प्रतिशत अक्षमता प्रमाण पत्र वाले दिव्यांग व्यक्ति NFSA के तहत अंत्योदय कार्ड के हकदार हैं। अब विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांगता की परिभाषा स्वीकार्य है। SJE विभाग द्वारा एक स्पष्टीकरण दिया गया था। 15 जून, 2016 को एक परिपत्र जारी किया गया था। यह इसलिए करना पड़ा कि विजयनगर के मामलतदार ने 40 प्रतिशत अक्षमता वाले विकलांग व्यक्तियों को अंत्योदय कार्ड जारी करने से मना कर दिया था। अंत्योदय कार्ड के लिए GR ने विकलांग लोगों का जिक्र किया था लेकिन विकलांगता के प्रतिशत के बारे में उल्लेख नहीं था। मामलतदार का मानना था कि विकलांग व्यक्तियों को अंत्योदय कार्ड जारी करने वाले लागू मानदंड वही हैं जो पेंशन के लिए लागू होते हैं, जो 80 प्रतिशत विकलांगता के मानदंड वाले हैं।

दिव्यांग लोगों के लिए राइटरों के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को लागू करने के लिए गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने अनुरोध किया गया था। दिव्यांग छात्रों और भावी कर्मचारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि राइटरों के दिशानिर्देश स्कूलों और भर्ती एजेंसियों द्वारा समान रूप से लागू नहीं किए गए थे। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राइटर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग को एक अनुरोध पत्र भेजा गया था। इससे संबंधित सहायक दस्तावेज - बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, केंद्रीय दिशानिर्देश इत्यादि भी एकत्रित और जमा किए गए हैं। 2016 में ये सब जमा करने के बाद यह पता चला कि केंद्रीय दिशानिर्देशों को लागू करने का आदेश SJE विभाग द्वारा 30 संबंधित विभागों को राज्य द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में कार्यान्वयन के लिए राज्य - प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विश्वविद्यालय, GPSC, सभी भर्ती इत्यादि जारी किया जा चुका है।

कमजोर समूहों को सार्वजनिक योजनाओं के लाभों प्राप्त करवाने के दौरान यह महसूस किया गया है कि किसी भी योजना की पात्रता साबित करने और प्राप्त करने की जिम्मेदारी लाभार्थी पर है। विकलांग व्यक्तियों को वातावरण में बाधाओं के कारण किसी भी योजना के लाभों तक पहुंच बनाना बेहद मुश्किल लगता है और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। परिवार के सदस्य भी कठोर शर्तों के साथ मामूली राशि के लिए दस्तावेजों को इकट्ठा करने में रुचि नहीं दिखाते हैं। गुजरात में विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन की पात्रता के लिए 0-16 के BPL स्कोर के साथ 80 प्रतिशत विकलांगता की आवश्यकता है, जिसमें 17 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 400 रुपये की मासिक राशि और 18-64 वर्ष की उम्र के वयस्कों के लिए 600 रुपये की राशि मिलती है। जबकि गोवा और तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों में सामाजिक-आर्थिक सूचकांक अपनाया गया है और मासिक पेंशन राशि बहुत अधिक है, उदाहरण के लिए 1 से 60 वर्ष आयु वर्ग के 90 प्रतिशत और उससे अधिक की विकलांगता के लिए 3,500 रुपये प्रति माह; 40 प्रतिशत और उससे अधिक की विकलांगता और 21 साल से अधिक की आयु के लिए 4000 रुपये प्रति माह; 40 प्रतिशत और उससे अधिक की विकलांगता और 1 - 20 साल की आयु के लिए 2000 रुपये प्रति माह। तेलंगाना में 40 प्रतिशत अक्षमता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 1500 प्रति माह है।

विभिन्न राज्यों में दिव्यांगता पेंशन और वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के तुलनात्मक विवरण CMO, मुख्य सचिव और मंत्री SJE और प्रधान सचिव SJE को राशि और मानदंडों को संशोधित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। दिव्यांगता पेंशन के तुलनात्मक विवरण गोवा, पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात के राज्यों के थे। 2016 से राज्य विभाग के साथ लगातार वार्ता के साथ और 2017 में विकलांगता पेंशन के मानदंडों को बदला गया है। BPL स्कोर के मानदंड न केवल विकलांगता पेंशन के लिए 0-20 हो गए हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग द्वारा लागू वृद्धावस्था पेंशन और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अन्य सभी योजनाओं के लिए हो गए हैं। विकलांगता पेंशन के लिए संशोधित लाभ 0-79

साल के लिए 600 रुपये और 80 वर्ष से अधिक के लिए 1000 रुपये हैं। ये मानदंड दृष्टिहीन लोगो के लिए 80 प्रतिशत या अधिक विकलांगता है; कम सुनने वालों के लिए 71 डेसिबल या अधिक और बुद्धिमत्ता (मानसिक) विकलांगों के लिए विकलांगता और 35 - 44 IQ है। हमारे अनुमानों के मुताबिक इससे राज्य में लाभार्थियों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। लेकिन विडंबना यह है कि इन योजनाओं के लिए बजट में वृद्धि नहीं हुई है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि मांग नहीं बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो आकस्मिक बजट से अतिरिक्त धन की मांग कर ली जाएगी।

क्षेत्रीय स्तर पर विशेष रूप से 2018 में पोशिना तालुका में 30 दिव्यांग लोगों का ब्लॉक स्तर समूह गठित किया गया है और नागरिक नेताओं के समर्थन के साथ और दिव्यांग प्रशिक्षण कौशल और आजीविका योजनाओं तक पहुंचने के लिए दिव्यांगों को सक्षम किया जा रहा है। दिव्यांग लोगों ने अपने गांवों में अन्य दिव्यांग लोगों को विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करवाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम करने में सहायता के लिए खुद को स्वयंसेवकों के रूप में घोषित किया है। सक्रिय दिव्यांग व्यक्तियों को नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन की जिला शाखा के साथ जोड़ा गया है ताकि वे स्थानीय स्तर पर अपनी जरूरतों और अधिकारों के लिए पैरवी कर सकें जैसे कि राज्य परिवहन विभाग के साथ बातचीत करना ताकि दिव्यांग व्यक्ति बस में मुफ्त सवारी करते हैं तो, उनके कर्मचारियों को दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण और व्यवहार अपनाने के लिए उन्मुख किया जा सके। विकलांग व्यक्तियों के समूह ने जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत किया था और नतीजतन राज्य परिवहन के कर्मचारियों के साथ-साथ निजी परिवहन के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा है।

भारत ने 2007 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि की है। अनुपालन के रूप में देश में विकलांगता पर एक व्यापक नया कानून बनाने पर विचार किया जाना है। लोगों की प्रतिक्रिया और राय के लिए 2011 में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा नए कानून का मसौदा अपलोड किया गया था। तब से हम दिव्यांग लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण पर नए कानून में एक अलग खंड को शामिल करने की पैरवी कर रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स सेंटर (NHRC) द्वारा प्रकाशित जर्नल के दिसम्बर 2015 के अंक में यूरोपीय संघ परियोजना समन्वयक (गुजरात) द्वारा 'शासन में सुधार के लिए प्रयास करनाः भारत में दिव्यांग लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण हस्तक्षेप को सुधारने की आवश्यकता' नामक एक लेख लिखा गया था। दिसंबर 2016 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। EU प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर (गुजरात) ने दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 2016 और राज्य दिव्यांगता नीति के नियमों के लिए नियम तैयार करने के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति में सदस्य के रूप में भी प्रतिनिधित्व किया है। ड्राफ्ट नियम और ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसी अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की गई है।

उपसंहार

दिव्यांग व्यक्ति कमजोर लोगों में भी सबसे कमजोर हैं और उनकी कोई आवाज नहीं है क्योंकि वे अपने घरों तक ही सीमित हैं। विकलांगता को हमारे समाज में अत्यधिक कलंकित माना जाता है। पुराने विकलांगता अधिनियमों में बुनियादी सात प्रकार की विकलांगताएं शामिल थीं लेकिन नये कानून में 21 विकलांगताओं को शामिल किया गया है। इससे विकलांग व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होगी जो RPwD अधिनियम 2016 द्वारा गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को प्राप्त करने के हकदार हो सकते हैं। अतिरिक्त संसाधनों को आवंटित करने के अलावा, विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वभौमिक पहचान पत्र कार/बस पास जारी करने के लिए प्रावधानों को युद्ध स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। विकलांगता पैरोकारों को विकलांग लोगों में आखिरी व्यक्ति - दिव्यांग बच्चों और महिलाओं, विशेष रूप से उच्च सहायता की आवश्यकताओं वालों तक पहुंचने के लिए पुनर्विचार और पुनः रणनीति बनाने की आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता के रूप में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण को बढ़ाकर जो भारत में विकलांग लोगों के मुक्ति के लिए आधार बनाती है।

बदलाव की सबसे महत्वपूर्ण कहानी

(1) आपकों क्यों लगता है कि योजना पर ध्यान देने की आवश्यकता है? (2) आपने क्या किया? (3) क्या परिवर्तन हुए? (4) लोगों को क्या लाभ मिला? (5) आपको इसके बारे में कैसा लगता है? 6. सीख

■

सार्वजनिक कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधारः परियोजना रणनीति, परिणाम और प्रभाव

यह रिपोर्ट 'उन्नति' द्वारा गुजरात के साबरकांठा जिले के विजयनगर और पोशीना ब्लॉकों की 30 ग्राम पंचायतों (GP) में परियोजना के अमलीकरण दौरान हुए अनुभव से सीखे गए सबक पर केंद्रित है।

2014 में, यूरोपीय संघ (EU) द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले 14 नागरिक समाज संगठनों (CSO) में उन्नति भी शामिल थी, जिसने महिलाओं सहित कमजोर समूहों को लक्षित करते हुए सार्वजनिक योजनाओं और कार्यक्रमों तक गरीबों और उपेक्षितों की पहुंच में सुधार लाने के लिए एक परियोजना को लागू किया था। (इस परियोजना में राजस्थान के बाड़मेर जिले के दो ब्लॉकों में 30 ग्राम पंचायतों (GP) को भी शामिल किया था)।

सारांश

परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक कार्यक्रमों की कवरेज और गुणवत्ता में सुधार लाना था, जिससे परियोजना क्षेत्र के भीतर भारत के उपेक्षित और बहिष्कृत नागरिकों को आर्थिक लाभ मिल सके। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संरक्षण और सुरक्षा के तहत आने वाली योजनाओं पर केंद्रित है, जिसमें आवास योजना, एमजीनरेगा और NFSA शामिल हैं।

कार्यान्वयन की पांच साल की अवधि (2014-18) के दौरान यह परियोजना 20,084 परिवारों तक पहुंची थी जबकि मूल योजना 9000 परिवारों के लिए बनाई गई थी। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 234 से अधिक नागरिक नेताओं (CL) और 80 ग्राम स्तर के संस्थानों, जिन्हें ग्राम विकास समितियां (GVS) कहा जाता है के रूप में नई सामाजिक पूंजी का निर्माण हुआ। CL को प्रशिक्षित किया जाता है और सार्वजनिक कार्यक्रमों की बेहतर समझ और सरकारी वितरण प्रणालियों के साथ बातचीत करने के लिए बेहतर कौशल के साथ तैयार किया जाता है जबकि GVS उस समुदाय की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करती है जो सरकारी प्रणालियों को सामाजिक रूप से अधिक जवाबदेह बनाता है। CL को अब पता है कि आवेदन करने वाले व्यक्तिगत हकदार धारकों की सहायता कैसे करें और लाभों को अनुमोदन और जारी करने के लिए प्रशासन के साथ कैसे फॉलोअप करें। वे समुदाय-आधारित निगरानी (CBM) की संचालन प्रक्रिया और तरीकों, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के प्रकटीकरण के महत्व और कई अन्य मुद्दों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं।

सार्वजनिक कार्यक्रमों की कवरेज और गुणवत्ता में सुधार के लिए मांग पैदा करना और स्थानीय कार्रवाई

बेसलाइन और एंड-लाइन सर्वेक्षण के आंकड़ों के साथ-साथ CBM प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी की तुलना स्पष्ट दिखाती है कि गुजरात के साबरकांठा जिले के दो ब्लॉकों में परियोजना क्षेत्र में कवरेज और लाभों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है (कोष्ठक-1 में दी गई सारणी में इसका विवरण दिया गया है)।

विभिन्न साधनों में, नियमित अंतराल पर की गई बुनियादी सेवाओं और सूचना शिविरों की समुदाय-आधारित निगरानी ने योजनाओं और उन्हें प्राप्त करने के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाई। सार्वजनिक कार्यक्रमों की सेवाएं प्रदान करने की खराब गुणवत्ता के साथ जुड़े मुद्दों की पहचान करने में सूचना के शिविरों के पांच दौर प्रभावी साबित हुए। उदाहरण के लिए, सूचना शिविर एमजीनरेगा में काम की मांग पैदा करने में मददगार रहे, जिसमें वंचित व्यक्तियों को पेंशन कार्यक्रम, विकलांगता प्रमाणन, जननी सुरक्षा योजना जैसे सामाजिक सहायता कार्यक्रमों तक पहुंचने में सक्षम बनाया गया; NFSA के तहत उचित मूल्य की दुकान में खरीद में सुधार करना, SMC, VHS और NC, मातृ मंडल समिति, आदि जैसी कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों को सक्रिय करना। CBM प्रक्रिया प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी में उपस्थिति की निगरानी और अन्य ग्राम स्तरीय सेवाओं के बीच NFSA के तहत उचित मूल्य की दुकानें (FPS) खाद्यान्न की उचित आपूर्ति में उपयोगी रही थी। सार्वजनिक कार्यक्रमों के लाभों तक पहुँचने में आम नागरिकों के सामने आने वाले कई बाधाएँ और अड़चनें हैं। पहुंच में सुधार के लिए स्थानीय

कोष्ठक-1

क्रमांक	सेवाएं	कवरेज		पात्रता या औसत के संदर्भ में HH स्तर के लाभ	
		बेसलाइन (400HH)	एंड-लाइन (400HH)	बेसलाइन	एंड-लाइन
1	मिड डे मील (मध्याह्न भोजन)	93.75 %	100 %	40.25 %	100 %
2	अन्न त्रिवेणी	0 %	100 %	0 %	100 %
3	जननी सुरक्षा योजना	48 %	55 %	55 %	68.5 %
4	निजी अस्पताल में व्यय	60.25 %	13.75 %	औसत HH व्यय 4751 रु.	औसत HH व्यय 828 रु.
5	वृद्धावस्था पेंशन	0.72 %	45.32 %	50 %	80.32 %
6	आवास योजना	23 HH	108 HH	औसत HH प्राप्ति 20000 रु.	औसत HH प्राप्ति 94620 रु.
7	MGNREGA	7 HH (1.75 %)	155 HH (38.75 %)	औसत HH मजदूरी 1128 रु.	औसत HH मजदूरी 4045 रु.
8	PDS/NFSA	232 HH	351 HH	धन के रूप में औसत HH लाभ 1280 रु.	धन के रूप में औसत HH लाभ 8437 रु.
9	आंगनवाड़ी में नामांकित के सामने बच्चों की उपस्थिति	6.8 %	56.67 %	CBM से प्राप्त	
10	प्राइमरी स्कूल में नामांकित के सामने बच्चों की उपस्थिति	28 %	62.78 %	CBM से प्राप्त	
11	पालक माता पिता योजना तक पहुंच (पात्र के सामने प्राप्त करने वालों की संख्या)	2/24	31/39	CBM से प्राप्त	

कार्रवाई करने के लिए नागरिक नेताओं को प्रशिक्षित किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई पात्रता धारकों को उनकी पात्रता साबित करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने में मदद करना था। CL भी CBM प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं और स्कूल, आंगनवाड़ी, PDS दुकान आदि संस्थानों के कामकाज पर नियमित निगरानी रखते हैं। लाभों को तिगुना करना 6171 नागरिक कार्यवाहियों के माध्यम से संभव हो पाया। परियोजना में विकसित CBM टूलकिट अब सामाजिक जवाबदेही पद्धति का उपयोग प्रचार के संसाधन के रूप में किया जाता है।

योजनाओं के दायरे और गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार के साथ सहभागिता

पूरी परियोजना इस धारणा पर आधारित थी कि जब वंचित और गरीब लोगों की अधूरी जरूरतों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी के साथ मांग को संबंधित अधिकारियों के सामने रखा जाता है सरकारी वितरण प्रणाली सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करती है। 'उन्नति' ने नागरिक नेताओं के साथ तालुका, जिला और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के साथ मुद्दों के समाधान की बातचीत की। बातचीत ने कई सक्षम प्रावधान बनाए जिससे आम नागरिक को लाभ प्राप्त करने में सुधार हुआ। सेवा सेतु, गरीब कल्याण मेला, विकलांगता प्रमाण पत्र शिविर, आदि जैसे विभिन्न सरकारी शिविरों में लोगों की भागीदारी में काफी सुधार हुआ क्योंकि नागरिकों को वॉइस SMS, सामुदायिक स्तर की बैठकें, प्रकाशित सामग्री आदि जैसे संचार के कई चैनलों के माध्यम से सूचित किया गया था। इस परियोजना अवधि के दौरान 79 शिविरों को सहयोग प्रदान किया गया था।

इसलिए सरकारी विभागों की प्रतिक्रिया भी बहुत सकारात्मक रही। जब विकलांगता शिविर में आने के लिए PHC से विकलांग व्यक्तियों को परिवहन सुविधा देने का अनुरोध किया गया तो अनुरोध तुरंत स्वीकार कर लिया गया। प्रशासन के सहयोग से चौदह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को स्वतः प्रदर्शित किया गया। इसमें खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की सूची, MDM खाद्यान्न का भंडार, गाँव में किए गए विभिन्न कार्यों पर एमजीनरेगा में श्रम और सामग्री पर खर्च की जाने वाली राशि, आदि शामिल हैं। उचित मूल्य की दुकान (FPS) को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के मुद्दे पर, स्थानीय प्राधिकारी से अनुरोध किया गया था कि ब्लॉक में सभी FPS में स्वतः प्रकटीकरण शुरू किया जाए। 2014 की शुरुआत में, 2015 में शुरूआती और समापन स्टॉक के अलावा विभिन्न श्रेणियों के तहत लाभार्थियों की संख्या दिखाते हुए सभी FPS में जानकारी प्रदर्शित की गई थी। BPL परिवारों को यह भी पता चला कि उन्हें बारकोड कूपन के लिए भुगतान नहीं करना है। FPS में सूचना प्रदर्शित करने के लिए विशेष बोर्ड बनाए गए थे। 31 मई, 2016 को इस मामले पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ चर्चा की गई और बाद में राज्य के सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों (DSO) को NFSA, 2013 के अनुसार एक निर्धारित प्रारूप में स्टॉक, प्राथमिकता वाले परिवारों की सूची, FPS के लाइसेंस, संपर्क नंबर, आदि का खुलासा करने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया।

सरकारी तंत्र वास्तव में उत्तरदायी बन गया था, उसका प्रमाण उस कार्रवाई में देखा जा सकता है जो उन 33 गांवों की जरूरत के बारे में की गई थी, जो मानसून के दौरान मुख्य आबादी से पूरी तरह से कट गए थे, क्योंकि दो नदियों पनारी और साई में कोई पुल नहीं था। प्रशासन ने 21 करोड़ रुपये की लागत से आठ पुलों और चार पुलियों को बनाने के लिए कार्रवाई की और इन गांवों के अलग-थलग पड़ जाने की बड़ी समस्या को प्रभावी ढंग से हल किया गया।

एक अन्य उदाहरण 2015-16 के दौरान पोशिना का है जहां वृद्धावस्था पेंशन के लगभग 600 आवेदन स्वीकृत किए गए थे लेकिन एक वर्ष तक धन जारी नहीं किया गया था। यह मामला जिला और विभाग स्तर पर उठाया गया था, यह पाया गया कि लाभार्थियों के जनधन बैंक खाते चालू नहीं थे। अंत में, जिला कलेक्टर ने पोस्टल मनी ऑर्डर के द्वारा एक वर्ष की पेंशन जारी करने के लिए डाक विभाग के माध्यम से विशेष व्यवस्था की थी।

अन्य राज्यों की तुलना में विधवा और वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के तहत दरों और पात्रता मानदंडों में काफी अंतर को देखते हुए, 'उन्नति' ने एक कई राज्यों का अध्ययन किया और गोवा, पुदुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात सहित 7 राज्यों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया। इसे दरों और पात्रता मानदंडों को संशोधित करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता (SJE) मंत्री, प्रमुख सचिव SJE और प्रमुख सचिव महिला और बाल विकास (WCD) को प्रस्तुत किया गया था। इस हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए कई बदलाव किए गए। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन के लिए पात्रता मानदंड BPL स्कोर 0-16 से बदलकर 0-20 हो गया है, जिसके कारण राज्य में लाभार्थियों की संख्या दोगुनी हो गई है।

इसी प्रकार, पालक माता पिता योजना अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के लिए मासिक सहायता प्रदान करती है। यह एक परिवार में तीन बच्चों के लिए लागू थी। ऐसे परिवारों को शामिल करने के लिए दायरा बढ़ाने की आवश्यकता थी जहां पिता की मृत्यु हो गई थी और माँ ने पुनर्विवाह कर लिया था। तदनुसार, CMO, CS और प्रमुख सचिव SJE को पत्र लिखे गए, जिसके वांछित परिणाम मिले। इस योजना के तहत राज्य में लाभार्थियों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है। योजना के तहत आर्थिक लाभ भी 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया।

सेवा प्रदान करने के तंत्र में सुधार का एक और उदाहरण विकलांगता प्रमाणन शिविर है। यह देखा गया कि शिविरों में प्रतिभागियों की संख्या राज्य भर में बेहद खराब थी। इसका एक कारण डॉक्टरों (मेडिकल विभाग) और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के बीच अच्छा समन्वय नहीं था। इस मामले पर दोनों विभागों के साथ चर्चा की गई और बाद में शिविर प्रक्रिया और विभिन्न हितधारकों की जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हुए एक प्रोटोकॉल जारी किया गया। इससे पूरे राज्य को फायदा हुआ है। पिछले चार वर्षों के दौरान, 745 विकलांग व्यक्तियों को परियोजना क्षेत्र में प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के साथ सक्रिय जुड़ाव और चर्चा के कारण कार्यक्रम के दायरे में हुए बड़े बदलावों के कुछ उदाहरण हैं। मांग पैदा करने और सरकारी अधिकारियों को वितरण

शेष पृष्ठ 22 पर

शासन और नागरिक शिक्षण

- स्वप्नी शाह, सीओओ, 'उन्नति', राजस्थान

हम ऐसा समाज और सरकार चाहते हैं जिसमें मानवाधिकारों और व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान हो, कानून का शासन हो, लोग अपनी जिम्मेदारियों को स्वेच्छा से पूरा करें, और सामान्य रूप से सभी का ध्यान रखा जाए। ऐसे समाज और सरकार के लिए सबसे अनुकूल वातावरण संवैधानिक लोकतंत्र द्वारा प्रदान किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए लोकतंत्र सबसे उर्वर वातावरण भी प्रदान करता है। भारत ऐसे लोकतंत्र का दावा कर सकता है। लोकतंत्र के आदर्शों का एहसास तब होता है जब सभी नागरिक शासन में एक सूचित तरीके से और अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझते हुए भाग लेते हैं। शासन में नागरिक भागीदारी सार्वजनिक कार्यक्रम तक पहुंच, सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन में सुधार और सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाकर चोरी को कम करना महत्वपूर्ण है। स्थानीय प्रशासन में नागरिकों को शामिल करने से समस्याओं को हल करने में स्थानीय अधिकारियों की क्षमता में सुधार होता है, अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समुदायों का निर्माण होता है, और समुदायों द्वारा की गई पहल की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों वाले नागरिकों की आवश्यकता है। ये गुण विरासत में नहीं मिलते हैं। उन्हें शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए नागरिक शिक्षण आवश्यक है और एक सूचित, प्रभावी और जिम्मेदार नागरिकता का विकास शिक्षकों, नीति निर्माताओं और नागरिक समाज के सदस्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है।

नागरिक शिक्षण की सामग्री

नागरिक शिक्षण लोकतंत्र के आदर्शों की समझ को बढ़ावा देती है और अपने मूल्यों और सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्धता का दावा करती है। नागरिक शिक्षण को नागरिकों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्रभावित करना चाहिए ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके।

नागरिक शिक्षण में लोकतांत्रिक प्रणाली पर समझ और सीमित, बिखरी और साझा सत्ता के औचित्य को शामिल किया जाना चाहिए। यह उन्हें सरकारों को जवाबदेह रखने और यह सुनिश्चित करने में सक्षम करेगा कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाए। इसमें कानून का सम्मान शामिल होना चाहिए। नागरिकों को भी भागीदारी के लिए प्रणाली में उपलब्ध अवसरों को पहचानने और चुनावी राजनीति से परे विकल्प का प्रयोग करने की आवश्यकता है। उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को महत्व देने की जरूरत है क्योंकि इसी से उनकी आवाज सुनी जाएगी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। अंत में, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि व्यक्तिगत लक्ष्यों और सार्वजनिक लक्ष्यों की प्राप्ति शासन में भागीदारी से ही होती है।

नागरिकों को सार्वजनिक एजेंडे पर मुद्दों का आकलन करने, निर्णय लेने और दूसरों के साथ उनके मूल्यांकन पर चर्चा करने के लिए उनमें मूल्यांकन करने, रुख तय करने और उनका बचाव करने के कौशल आवश्यक हैं। इसके लिए गहन सोच (किसी मुद्दे का उसके इतिहास, समकालीन प्रासंगिकता और अन्य बातों का अध्ययन करने के बाद सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना), वर्णन/व्याख्या और विश्लेषण करना आवश्यक है। कार्यों और प्रक्रियाओं का वर्णन करने की क्षमता - उदाहरण के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम वितरण, विधायी नियंत्रण और संतुलन या न्यायिक समीक्षा - नागरिकों को कमी का पता लगाने और ठीक करने में मदद करेगी। सार्वजनिक कार्यक्रम तक पहुंच, पोषण की स्थिति, प्रवास, या रोजगार में रुझान की समझ और वर्णन करना वर्तमान घटनाओं को लंबी अवधि के पैटर्न में फिट करने में मदद करता है। विश्लेषण करने की क्षमता तथ्य और राय के बीच या साधन और लक्ष्य के बीच अंतर करने में सक्षम बनाती है। यह नागरिक की निर्वाचित या नियुक्त अधिकारियों और नागरिकों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने में भी मदद करती है। बौद्धिक कौशल व्यक्ति को ठोस चीजों जैसे झंडा, राष्ट्रीय स्मारकों, या नागरिक और राजनीतिक घटनाओं के साथ-साथ विचारों या अवधारणाओं

जैसे देशभक्ति, बहुमत और अल्पसंख्यक अधिकारों, नागरिक समाज आदि के लिए महत्व देने में जुड़ाव पैदा करता है।

प्रभावी और जिम्मेदार भागीदारी के लिए भागीदारी, या बातचीत, निगरानी और प्रभावित करने वाले कौशल आवश्यक हैं। 'संवाद' करने से मतलब नागरिकों को संवाद करने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए जरूरी कौशल है। इसका मतलब है नागरिकता के साथ सवाल करना, जवाब देना, और विचार-विमर्श करना, साथ ही गठबंधन बनाना और निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष का समाधान करना। निगरानी से तात्पर्य उन कौशल से है जिनकी नागरिकों को सरकार द्वारा कार्यक्रम वितरण या मुद्दों से निपटने की आवश्यकता है। इसका अर्थ निरीक्षण या वॉचडॉग कार्यों को भी करना है। प्रभावित करना से तात्पर्य शासन की औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की क्षमता से है। प्रभाव डालने का एक महत्वपूर्ण साधन मतदान है; लेकिन यह एकमात्र साधन नहीं है। नागरिकों को सार्वजनिक निकायों के समक्ष याचिका देने, बोलने, या गवाही देने, पैरवी करने वाले समूहों में शामिल होने और गठबंधन बनाना सीखना आवश्यक है।

लोकतंत्र बनाए रखने की नैतिक जिम्मेदारी, अनुशासन, मानव गरिमा के लिए सम्मान, नागरिकता, कानून के शासन के लिए सम्मान, आलोचनात्मक मानसिकता, सुनने की इच्छा, बातचीत करने और समझौता करने जैसे दृष्टिकोण और मूल्य आवश्यक हैं। कौशल की तरह, वे समय के साथ धीरे-धीरे विकसित होते हैं और उसके परिणामस्वरूप भी जो वे घर, स्कूल, समुदाय और नागरिक समाज के संगठनों में सीखते हैं और अनुभव करते हैं। सही दृष्टिकोण और मूल्यों से नागरिक सार्वजनिक मामलों के प्रति चौकस रहने, संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में जानने और विचार करने, उन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक एजेंसियों के पालन की निगरानी करने के लिए सक्षम होंगे और यदि पालन की कमी है तो उचित कार्रवाई करेंगे। यह नागरिक को अन्यायपूर्ण कानूनों को बदलने या नए की मांग करने के लिए शांतिपूर्ण, कानूनी साधनों के माध्यम से काम करने के लिए प्रेरित करता है।

नागरिक नेताओं को तैयार करना - 'उन्नति' का अनुभव

स्थानीय शासन में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने में शिक्षण और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण हैं। नागरिकों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को परिवार, धार्मिक संस्थानों, मीडिया, सामुदायिक समूहों और कई अन्य लोगों द्वारा आकार दिया जाता है। हालाँकि, नागरिक समाज संगठन सार्वजनिक प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें नागरिक लोकतंत्र को करते हुए सीखते हैं।

उन्नति - विकास शिक्षण संगठन एक नागरिक समाज संगठन है जिसे क्षमता निर्माण विकास संगठन के रूप में जाना जाता है। 90 के दशक की शुरुआत से स्थानीय शासन संस्थानों को मजबूत करना संगठन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। इस दशक के अंत तक, संगठन ने स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने के महत्वपूर्ण घटक के रूप में नागरिक नेताओं को तैयार करने के लिए एक प्रयोग शुरू किया। नागरिक नेता निर्वाचित होने या किसी पद को धारण करने के आधार पर नेता नहीं होते। वे लोकतांत्रिक शासन के ढांचे में नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को पहचानते हैं। वे दूसरों के लिए जीवन को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के तरीके खोजते हैं। 'उन्नति' ऐसे नागरिक नेताओं को सामाजिक पूंजी मानती है और सामाजिक न्याय पर परिप्रेक्ष्य विकास, सामुदायिक विकास पर कौशल, विभिन्न स्तरों के सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत, आवेदन लिखने, सूचना प्राप्त करने या प्रशिक्षण में सूचना हस्तांतरण के माध्यम से और अधिक प्रभावशाली होने के लिए उनकी क्षमताओं को विकसित करती है।

आमतौर पर नागरिक नेताओं को पिछड़े समुदायों से लिया जाता है। महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगों) को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। नागरिक नेताओं की पहचान सामुदायिक बैठकों में की जाती है। शिक्षण कोई मापदंड नहीं है। युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उनमें अधिक गतिशीलता, उत्साह और ऊर्जा होती है और वे आमतौर पर सीखने और बदलाव के इच्छुक होते हैं। शुरुआती छह महीनों के लिए, इन नेताओं को लोगों को जानकारी के लेनदेन जैसे छोटे काम दिए जाते हैं। संगठन के सामुदायिक सूत्रधार निरंतर मार्गदर्शन और साथ देकर नागरिक नेताओं का सहयोग करते हैं।

हर महीने ब्लॉक स्तर पर नागरिक नेताओं की बैठक आयोजित की जाती है। ये बैठकें स्थानीय स्तर पर किए गए कार्यों और योजना की समकक्ष समीक्षा का अवसर प्रदान करती हैं। नागरिक नेता अपने

अनुभवों और दुविधाओं को साझा करते हैं और अगले महीने के लिए संयुक्त कार्य योजना तैयार करते हैं। यह क्षमता निर्माण के लिए एक मंच भी है क्योंकि नए विकास और सार्वजनिक योजनाओं की जानकारी पर चर्चा की जाती है। व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, नागरिक नेताओं का मार्गदर्शन किया जाता है और सार्वजनिक कार्यक्रम प्रावधान में जवाबदेही के लिए स्थानीय मुद्दों को हल करने और शासन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर सहयोग प्रदान किया जाता है। बैठकों में, नागरिक नेताओं को न केवल विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है, बल्कि फॉर्म भरने, आवेदन और शिकायतों को स्पष्ट रूप से लिखने, डिजिटल स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने आदि के लिए कुशल बनाया जाता है। बैठकें नैतिक विचारों पर मनन का अवसर भी प्रदान करती हैं।

पिछले 4 वर्षों में, 506 नागरिक नेताओं को तैयार किया गया और उन्होंने 7000 कार्यवाहियां की हैं, जिनमें सार्वजनिक कार्यक्रमों की जानकारी का प्रसार करना, गरीबों और पिछड़े लोगों को कार्यक्रमों का उपयोग करने में मदद करने के लिए उन्हें जटिल आवेदन प्रक्रिया और अन्य अड़चनों और हकदारी नहीं मिलने पर शिकायतों की पैरवी करने में मदद की है। वे मांग और बातचीत को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नागरिक नेताओं और स्थानीय सरकारी अधिकारियों के बीच बातचीत की बैठकों की व्यवस्था करते हैं। 75 प्रतिशत नागरिक नेता महिलाएं हैं। नागरिक केंद्रित कार्रवाई का समर्थन करने से गुणवत्ता सेवाओं के लिए संगठित मांग को मजबूत करने में मदद मिलती है। यह गरीब और बहिष्कृत समुदायों के लिए सामाजिक पूंजी बनाता है।

'सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए नागरिक भागीदारी' पर अभियान विशेष रूप से नागरिक नेताओं के नेतृत्व के लिए अनुलंब निगरानी साधन के रूप में तैयार किए गए हैं। अभियान हमारी इस समझ पर आधारित हैं कि स्थायी परिवर्तन तभी हो सकता है जब लोगों को उनके अधिकारों और हकों की मांग के लिए सूचित और सशक्त किया जाए। सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच और स्थिति और अनुरोध, संवाद, प्रतिनिधित्व या शिकायत दर्ज करने सहित स्थानीय कार्यों को शुरू करने से संबंधित मुद्दों को समझने के लिए लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। ये अभियान सार्वजनिक योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने और ग्रामीण संस्थानों को मजबूत बनाने और सेवा प्रदाताओं से जवाबदेही की मांग करने के लिए मंच प्रदान करते हैं। यह नागरिक कार्रवाई को सक्षम बनाता है। नागरिक नेताओं को विभिन्न शिकायत निवारण रणनीतियों से अवगत कराया जाता है। अभियान मोड सुदूर स्थानों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। यह लंबे समय से स्थायी या सामान्य मुद्दों की पहचान करने में मदद करता है जिन्हें ब्लॉक, जिला या राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है। ये अभ्यास नमूना आकार या कवरेज के संदर्भ में सांख्यिकीय रूप से प्रतिनिधि नहीं हैं। सचित्र सार्वजनिक योजनाएं सूचना और मूल्यांकन प्रदर्शन चार्ट नागरिक नेताओं और सामुदायिक सुविधाकर्ताओं को कार्यक्रम से संबंधित जानकारी आसानी से प्रदान करने में मदद करते हैं और समुदाय के साथ परामर्श के बाद संकेतक पर डेटा लेते हैं और स्थिति की एकत्रीकरण और अनुलंब तुलना के लिए संस्था की समीक्षा करते हैं।

नागरिक नेताओं को तीन वर्ष की अवधि में 6 अलग-अलग प्रकार के प्रशिक्षणों से गुजारा जाता है:

वर्ष 2017 में नागरिक नेताओं द्वारा की गई कार्रवाई के प्रकार

कार्रवाई का प्रकार	**संख्या**
योजनाओं की जानकारी के लिए सामुदायिक बैठकें	124
आधार सीडिंग, बैंक खाते खोलने, जाति, आयु, मृत्यु आदि का प्रमाण पत्र बनाने के लिए पात्रता का प्रमाण देने और विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन पत्र तैयार करने में सहायता	1497
योजनाओं और सेवाओं के तक न पहुंचने के संबंध में शिकायतें दर्ज करना	184
सांविधिक समितियों को सक्रिय करना	74
अन्य जवाबदेही कार्रवाई, सूचना प्रकटीकरण, ग्राम सभा संचालन	1030
कुल	2909

(1) नागरिकता और शासन - नागरिक और राज्य के संस्थानों के बीच पारस्परिक सहभागिता की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। यह रेखांकित करता है कि सक्रिय नागरिक समूह के बिना राज्य को प्रभावी और उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रम वितरण सेवाओं की समानता में सुधार लाने में सक्षम नहीं होगा। विभिन्न समितियों में नागरिक की भागीदारी योजना और निष्पादन में लोगों की आकांक्षाओं, रुचि और जरूरतों को प्रतिबिंबित कर सकती है और अंत में लोगों के स्वामित्व का निर्माण कर सकती है।

(2) गरीबी विश्लेषण और सामाजिक समावेश - यह गरीबी पर सामाजिक परिप्रेक्ष्य बनाने पर केंद्रित है। नागरिक नेता को हाशिए पर जाने की प्रक्रिया और महिलाओं, दलितों और विकलांग व्यक्तियों के मुद्दों पर उन्मुख किया जाता है। यह सामाजिक न्याय परिप्रेक्ष्य के साथ गरीबों के मुद्दों की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने में नागरिक नेताओं की मदद करता है।

(3) सरकारी योजनाएँ और सामाजिक न्याय कानून - स्वास्थ्य, शिक्षण और सामाजिक सुरक्षा/सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नागरिक नेताओं को आवेदन पत्र, लाभ उठाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया और इन्हें हासिल करने की चुनौतियों से उन्मुख किया जाता है। नागरिक नेताओं को विभिन्न सामाजिक न्याय कानूनों जैसे एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बलात्कार विरोधी अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम आदि पर भी उन्मुख किया जाता है। जानकारी प्रदान करने के अलावा, प्रशिक्षण सरकारी योजनाओं तक पहुंचने और सामाजिक न्याय कानून के लिए नागरिक नेताओं के कौशल को मजबूत करने पर भी केंद्रित है।

(4) आरटीआई और सामाजिक जवाबदेही - प्रशिक्षण वर्तमान संदर्भ में सामाजिक जवाबदेही की प्रासंगिकता पर केंद्रित है। नागरिक नेताओं को सामाजिक जवाबदेही प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में उपयोग किए जा रहे विभिन्न साधनों और तकनीकों के उपयोग पर उन्मुख किया जाता है।

(5) सरकार के साथ प्रभावी समन्वय - यह प्रशिक्षण आवेदन, संवाद, वार्ता, समूह प्रतिनिधित्व या जन सुनवाई के संदर्भ में सरकार के समक्ष मुद्दों की प्रस्तुति के लिए कौशल विकास पर केंद्रित है। जब इन साधनों का उपयोग संवैधानिक दायरे के भीतर प्रभावी ढंग से किया जाता हैं, तो यह सरकार से विवाद में पड़े बिना बेहतर परिणाम प्रदान कर सकता है। सरकारी अधिकारियों को कार्यशाला में आमंत्रित किया जाता है ताकि नागरिक नेता उनके परिप्रेक्ष्य को समझ सकें।

(6) नेतृत्व विकास - प्रशिक्षण नेतृत्व पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जैसे ग्राम सभा के संचालन, संघर्ष समाधान, ग्राम विकास पर आम सहमति बनाना, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना जो विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक घटक हैं।

सभी नागरिक नेताओं को जेंडर के प्रति संवेदनशील किया जाता है। नागरिक नेताओं को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेटवर्क और पैरवी मंचों जैसे शिक्षण का अधिकार, भोजन का अधिकार, जन स्वास्थ्य अभियान, जन जन जोड़ो अभियान में भाग लेने और अपने स्वयं के गठजोड़ करने का अवसर दिया जाता है। यदि किसी नागरिक नेता ने कोई स्थानीय मुद्दा उठाया है, जिसे भूमि अधिकारों या सामान्य संपत्ति संसाधनों और किसी अन्य पर समझने की आवश्यकता है, तो उन्हें क्षमता निर्माण के लिए विशेषज्ञता वाले अन्य संगठनों से जोड़ा जाता है।

स्कूली शिक्षण में महत्व

प्रत्येक बच्चे के लिए नागरिक शिक्षण आवश्यक है। स्कूल औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण दोनों के माध्यम से प्रारंभिक वर्षों में शुरू करने और पूरे शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से जारी रखने के लिए नागरिक योग्यता और नागरिक जिम्मेदारी के विकास के लिए विशेष और ऐतिहासिक जिम्मेदारी लेते हैं। नागरिक शास्त्र में औपचारिक निर्देश छात्रों को शासन के विभिन्न संस्थानों के संविधान, संरचना और जिम्मेदारियों और नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों से परिचित कराता है। अधिकारों के बारे में निर्देश यह स्पष्ट करना चाहिए कि कुछ अधिकारों को निरपेक्ष माना जा सकता है। अधिकार एक दूसरे के साथ या अन्य मूल्यों और हितों के साथ मजबूत हो सकते हैं या टकरा सकते हैं और इसलिए उचित सीमाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार, या व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित के अधिकार अक्सर एक दूसरे के साथ टकराते हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे अधिकारों तथा अधिकारों और अन्य मूल्यों और हितों के बीच संबंधों के बारे में विचारों को स्पष्ट करने के लिए एक रूपरेखा विकसित करें। यह ढांचा तब अधिकारों के उचित दायरे और सीमाओं

के बारे में तर्कपूर्ण निर्णय लेने के लिए आधार प्रदान कर सकता है। जिम्मेदारियों के बारे में निर्देश से यह स्पष्ट होना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य साथ-साथ चलते हैं। जिम्मेदारियां लोकतांत्रिक समीकरण के दूसरे हिस्से हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी और नागरिक दायित्व की भावना वास्तव में सामाजिक नींव है जिस पर व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता अंततः टिकी रहती हैं।

हालांकि, नैतिक व्यवहार संवर्धित करने और चरित्र के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी, जिसमें नैतिक चरित्र भी शामिल है, परिवारों के पास होती है, स्कूलों को छात्रों के चरित्र के समग्र विकास में एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। स्कूलों को छात्रों को नागरिकता के लिए प्रासंगिक सार्वजनिक और निजी चरित्र के वांछनीय लक्षणों के विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए। कक्षा की बैठकें, छात्र परिषद, कृत्रिम जन सुनवाई, मॉक परीक्षण, मॉक चुनाव और छात्र अदालतें जैसी सहकारिता सीखने वाली गतिविधियाँ प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए आवश्यक चारित्रिक लक्षणों को बढ़ावा देती हैं।

छोटे छात्रों को ट्यूशन देने, स्कूल के वातावरण की देखभाल करने, मतदाता पंजीकरण ड्राइव, लिंग सुरक्षा ऑडिट या एक्सेस ऑडिट में भाग लेने जैसी विशेष सामुदायिक सेवा सीखने की परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं। राष्ट्रीय और राज्य की छुट्टियों को मनाकर और सहपाठियों और स्थानीय नागरिकों की उपलब्धियों के समारोह के माध्यम से साझा मूल्यों और समुदाय की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है। महत्वपूर्ण वर्तमान घटनाओं की नियमित चर्चा द्वारा सार्वजनिक मामलों के प्रति आकर्षण पैदा किया जा सकता है। छात्रों से नैतिक महत्व वाले मुद्दों पर रुख का मूल्यांकन करने, तय करने और बचाव करने के लिए कहा जा सकता है।

आज के संदर्भ में, तकनीकी और सोशल मीडिया की बढ़ती पहुंच और बहस और संवाद के लिए व्यापक अवसर को देखते हुए, स्कूल पाठ्यक्रम पारदर्शिता में सुधार के लिए बच्चों को इसके जिम्मेदार उपयोग पर उन्मुख कर सकता है। स्कूल नागरिक समाज संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ सकते हैं, छात्रों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कक्षा में सामुदायिक नेताओं को ला सकते हैं, और छात्रों को उनकी गतिविधियों/कार्यक्रमों में अवलोकन और/या भाग लेने के अवसर प्रदान कर सकते हैं।

संदर्भः

इस लेख में उन्नति - विकास शिक्षण संगठन के नागरिक नेतृत्व को मजबूत करने पर अपने दशकों के काम के दौरान तैयार परियोजना और अन्य रिपोर्टों से काफी सामग्री ली गई है।

1. EndalcachewBayeh; Ambo University; The Role of Civics and Ethical Education for the Development of Democratic Governance in Ethiopia: Achievements and Challenges; available at: http://repository.smuc.edu.et/bitstream/123456789/3011/1/Endalcachew.pdf; Accessed on April 12, 2018
2. Robertson, Susan L., Globalisation, Education Governance and Citizenship Regimes: New Democratic Deficits and Social Injustices, published by the Centre for Globalisation, Education and Societies, University of Bristol, Bristol BS8 1JA, UK, available: http://susanleerobertson.com/publications/. Accessed on April 12, 2018
3. Paul R. Lachapelle, Elizabeth A. Shanahan; Montana State University; The Pedagogy of Citizen Participation in Local Government: Designing and Implementing Effective Board Training Programs for Municipalities and Counties. Available at: http://www.naspaa.org/JPAEMessenger/Article/VOL163/07_16no3_final_lachapelleshanahan.pdf. Accessed on April 12, 2018
4. John Gaventa; Towards Participatory Local Governance: Six Propositions for Discussion; available at http://www.accountabilityindia.in/sites/default/files/document-library/153_1244529170.pdf; Accessed on April 12, 2018
5. Ganesh Prasad Pandeya, Does citizen participation in local government decision-making contribute to strengthening local planning and accountability systems? An empirical assessment of stakeholdersu perceptions in Nepal; International Public Management Review Vol. 16, Iss.1, 2015; Available at: http://journals.sfu.ca/ipmr/index.php/ipmr/article/viewFile/247/243; Accessed on April 12, 2018

■

पृष्ठ 17 का शेष

प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सक्षम बनाने के दोनों स्तरों पर काम करना सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने में अमूल्य साबित हुआ। एक महिला CL मंगू बेन ने कहा कि जब उसने गाँव में आंगनवाड़ी की निगरानी शुरू की, तो बच्चों की बेहतर उपस्थिति, ममता दिवस में माताओं की भागीदारी सहित सभी ने कार्य करना शुरू कर दिया। परियोजना में उपयोग की गई रणनीतियाँ एक अनुकरणीय मॉडल है जिसे अन्य संगठनों, दाताओं और CSR द्वारा अपनाया जा सकता है।

■

पुरुष परिवर्तनकर्ता तैयार करना

(यह लेख 'गर्ल्स काउन्ट' न्यूजलेटर के जुलाई-सितंबर 2017 के अंक-14 में प्रकाशित किया गया था। उसका अनुवाद यहा प्रस्तुत किया गया है। यह लेख **सतीश कुमार सिंघ** ने लिखा है। लेखक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय केंद्र, नई दिल्ली में एडिशनल डिरेकटर हैं। सतीश कुमार सिंह से satish @chsj.org पर संपर्क किया जा सकता है)

नवंबर 2016 में 16 दिवसीय सक्रियता के दौरान शुरू किये गये एक साथ राष्ट्रीय अभियान में, समाज में जेंडर आधारित समता लाने के लिए पुरुषों और लड़कों को शामिल किया जा रहा है

कमलेश कुमार जायसवाल झारखंड के बोकारो जिला के कास्मार ब्लॉक, तेलमुंगा गांव के छोटे से व्यापारी हैं। दिसंबर 2016 में, लगभग 45 वर्षीय कमलेशने अपने कुछ दोस्तों के साथ इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन (NGO), सहयोगिनी द्वारा आयोजित साइकिल रैली में भाग लिया। कमलेश कहते हैं कि 'हम हमारे हाथों में बेटों और बेटियों के खिलाफ भेदभाव नहीं करने पर, कम उम्र में विवाह के स्वास्थ्य पर प्रभाव और घर पर हिंसा मुक्त वातावरण पर तख्तियां लिए हुए थे।' 'रास्ते में बैठकें और चर्चाएं हुईं और मैंने एक पुरुष के रूप में अपनी भूमिका के बारे में सोचना शुरू किया, क्या मैं महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए और जेंडर समानता के लिए कुछ कर सकता हूं।' इस बातचीत ने कमलेश को भेदभाव वाले जेंडर सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए पुरुषों और लड़कों को शामिल करने वाले एक साथ अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। यह समझने और मनन करने के लिए कि मर्दाना व्यवहार कैसे आकार लेता है और यह जेंडर संबंधों कैसे प्रभावित करता है, वे इस अभियान के तहत जेंडर समानता के लिए 'समानता साथी' या पुरुष पैरोकार बनने को उत्सुक हैं। कमलेश की तरह, पूरे भारत में चल रहे इस अभियान में 10 राज्यों से करीब 5,000 पुरुष और लड़के शामिल हैं जहां जहां एक साथ अभियान पिछले एक साल से चल रहा है। वे व्यापारी, किसान, वकील, दैनिक मजदूर, शिक्षक, छात्र, आदि हैं, वे सभी पुरुष परिवर्तनकर्ता हैं, भारत द्वारा आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ने के बावजूद जेंडर आधारित व्यापक हिंसा और भेदभाव के बारे में चिंतित हैं। वे रोजाना आने वाली घरेलू हिंसा की खबरों, सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और उत्पीड़न, बाल यौन उत्पीड़न, दहेज, कम उम्र में विवाह, महिला जेंडर अनुपात में गिरावट के बारे में चिंतित हैं, जो समाज में जेंडर भेदभाव की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं।

'एक साथ' अभियान इस विचार को छोड़ देना चाहता है कि समय आ गया है कि महिलाओं के खिलाफ जेंडर भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा देने और बनाए रखने में हम पुरुषों और लड़कों की भूमिका की जांच करें और उसे फिर से परिभाषित करें। वर्तमान मानदंड देखभाल और समर्थन का एक बेहतर हिस्सा बेटे को प्रदान करते हैं और यह पुरुषों में हक और विशेषाधिकार की भावना पैदा करता है। बेटे को प्रतिस्पर्धा करना, कड़ी मेहनत करना, सफल होने और हर कीमत पर जीतना सिखाया जाता है। संदेश स्पष्ट हैः 'लड़कियों की तरह मत रोओ', 'बहिन की तरह गुड़ियों के साथ मत खेलो, बंदूक ले लो', 'रसोईघर में मत आना, यह महिलाओं का काम है', इत्यादि।

पुरुषों को जातीयता संबंधी चर्चाओं में सामेल करने के लिए 'जेन्डर गेम्स' का आयोजन

चुपचाप और कुशलता से समाज पितृसत्ता को बनाए रखने में लगा रहता है। जो पुरुष घर पर हिंसा नहीं करते वे भी किसी भी घरेलू कार्य या बच्चे के लालन-पालन में हाथ नहीं बंटाते हैं; पिता अपनी बेटी की शिक्षा को रोकते हैं और उनकी कम उम्र में ही शादी कर देते हैं; पुरुष कभी-कभी हस्तक्षेप करते हैं, जब उन्हें पता लगता है कि उनके पड़ोस में घरेलू हिंसा हो रही है; तथा जब कार्यस्थल पर जातीयता संबंधी चुटकुले सुनाए जाते हैं या महिला सहयोगी को परेशान किया जाता है, तो ज्यादातर पुरुष अपना मुंह फेर लेते हैं।

पुरुषों को महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए

अगर हम महिलाओं की स्थिति बदलना चाहते हैं, तो यह मानना महत्वपूर्ण है कि यह अकेले महिलाओं के प्रयास के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। अगर हम मानते हैं कि जेंडर समानता पूरे समाज का दृष्टिकोण है, तो फिर पूरे समाज को इस परिवर्तन के काम में लगाया जाना चाहिए। पुरुषों को घर पर और समुदाय में नई भूमिका निभाने की जरूरत है। जो पुरुष (पिता, भाई या चाचा), वर्तमान भेदभाव मानदंडों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं (अक्सर चुपचाप) निभाते हैं, उन्हें अपनी बहनों, बेटियों और भतीजियों के समर्थन में खुले तौर पर सामने आने की जरूरत है, और उस वातावरण को समग्र रूप से बदलने की जरूरत है जो पूरी तरह से महिला अभिव्यक्ति और सशक्तिकरण के विरुद्ध है।

अभियान रणनीति

जेंडर न्याय के लिए पुरुष और लड़कों का एक साथ राष्ट्रीय अभियान 16 दिवसीय सक्रियता के दौरान नवंबर 2016 में शुरू किया गया था। यह तीन राष्ट्रीय नेटवर्कों - पुरुषों और लड़कों के साथ जेंडर मुद्दों पर के काम कर रहे संगठनों और लोगों के राष्ट्रीय नेटवर्क, व्यक्तियों को शामिल करने वाला मंच (FEM); जेंडर न्याय के लिए भारत गठबंधन; तथा VAW के खिलाफ एक वैश्विक अभियान, वन बिलियन राइजिंग (OBR) का एक संयुक्त अभियान है ।

इस अभियान को 100 से अधिक जिलों और शहरों में और 200 शैक्षिक संस्थानों में लॉन्च किया गया था, जो 1.5 मिलियन लोगों तक पहुंच रहा है। पहले वर्ष में, 5,000 से अधिक युवाओं की पहचान की गई और दूसरे वर्ष में इतने ही लोगों को समानता साथी के रूप में तैयार करने के लिए चुना जाएगा।

रेडियो चेनल्स पे हुई चर्चाओं द्वारा भी
इस अभियान को लोगो तक पहुँचाने में मदद मिली थी।

इस अभियान का उद्देश्य इन पुरुष परिवर्तनकर्ताओं की पहचान करना और फिर उनकी क्षमता का निर्माण करना और उन्हें अपने समुदायों में जेंडर से जुड़े सामाजिक मानदंडों को को चुनौती देने और समानता को बढ़ावा देने वाले मानदंडों का नया सेट लागू करने के लिए लैस करना है। इस अभियान में स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय केंद्र (CHSJ) द्वारा सहयोग दिया गया है और देश भर में जागोरी, अक्षरा, स्वयं और एकता आदि जैसे प्रसिद्ध महिला समूहों के प्रतिनिधियों की समन्वय समिति द्वारा पर्यवेक्षित किया जा रहा है। इस अभियान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के 100 से अधिक सहयोगी शामिल हैं।

यह अभियान पुरुषों के साथ काम करना सिखाता है जिसे CHSJ और उसके साथी संगठन और नेटवर्क और गठबंधन पिछले 15 वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यान्वित कर रहे हैं। इस काम से प्राप्त सीख इस प्रकार हैं:

पुरुषत्व की समझ महिलाओं के अधिकारों पर काम करने को अधिक प्रभावी बनाता है: जेंडर संबंधों में बदलाव लाने के तरीकों की खोज में, यह पाया गया है कि पुरुषों के साथ रचनात्मक रूप से कार्य करके जेंडर भूमिकाओं और संबंधों में बदलाव लाया जा सकता है।

बदलाव वाले परिवर्तन स्थाई हैं: यह पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं को बदलता है, जेंडर के बीच पितृसत्तात्मक सत्ता विभाजन को चुनौती देता है और सत्ता और विशेषाधिकार साझा करने के लिए और अधिक सामाजिक एकजुटता पैदा करता है।

शेष पृष्ठ 27 पर

'हम बिना किसी डर और प्रभाव के भयभीत हुए बिना काम करने में विश्वास करते हैं'

(यह लेख 'गर्ल्स काउन्ट' न्यूजलेटर के जुलाई-सितंबर 2017 के अंक-14 में प्रकाशित किया गया था। उसका अनुवाद यहा प्रस्तुत किया गया है। 'गर्ल्स काउन्ट' के साथ बातचीत में दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष, 'स्वाती जय हिंद' ने उन कई बदलावों के बारे में बात की जिन्हें वे महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और हिफाजत के संबंध में सरकारी मशीनरी और समाज में देखना चाहती हैं। उनसे साक्षात्कार के कुछ अंश यहां दिए गए हैं।

प्रश्न गर्ल्स काउन्टः 2015 में DCW में शामिल होने के बाद आपका प्राथमिक क्षेत्र क्या रहा है और सफलता की कुंजी क्या हैं?

स्वाती जय हिंद (जय हिंद): महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जेंडर समानता हमारी प्राथमिकताएं हैं। दिल्ली में हर कोई असुरक्षित महसूस करता है। हमें प्रत्येक लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए भले ही वह घर पर हो या, कार्यस्थल पर या सार्वजनिक जगह पर। आयोग पहले इन मुद्दों पर चुप रहता था। पूर्व अध्यक्ष ने पिछले आठ वर्षों में केवल एक मामला देखा, जबकि हमने सिर्फ एक साल में 12,000 मामलों को देखा है, 181 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से 3.25 लाख कॉल को सुना है, 7,500 दौरे किए हैं, 5,500 अदालती मामलों में यौन उत्पीड़न पीड़ितों को सहायता प्रदान की है, 55 सिफारिशें की और 1,869 परामर्श सत्र आयोजित किए। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि देश में DCW एकमात्र आयोग है जो शनिवार को भी काम करता है। हम बिना किसी डर और प्रभाव के भयभीत हुए बिना काम करने में विश्वास करते हैं। यह आयोग का प्राथमिक कार्य है कि सरकार को जिम्मेदार ठहराए और हम ऐसा कर पाए हैं। DCW देश में एकमात्र आयोग है, जिसने एक वर्ष में दिल्ली पुलिस को 3,500 नोटिस जारी किए, और आयोग को सूचना देने से इनकार करने पर पुलिस आयुक्त को भी बुलाया है। हमने देश की अंतरात्मा को हिलाकर रख देने वाले निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हस्तक्षेप किया और बाद में उसके जन आक्रोश ने संसद को किशोर न्याय संशोधन अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके अलावा, हमने कई बचाव अभियान भी चलाए थे और तस्करी करके लाई गई लड़कियों को GB रोड से बचाया था। हम कई मुद्दों पर काम कर रहे हैं और कई कानूनी मामलों में हस्तक्षेप किया है।

प्रश्न गर्ल्स काउन्टः आपके नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है?

जय हिंदः देश परिवर्तन चाहता हैः हम सभी बदलाव की तलाश में हैं; जो लोग संघर्ष कर रहे हैं या सिस्टम को समझने कोशिश कर रहे हैं वे भी बदलाव चाहते हैं। यह मेरी आंतरिक प्रेरणा का स्रोत रहा है। पिछले दस वर्षों में, मैंने जमीनी स्तर काम किया है, झोपड़ियों में रही हूं, उपेक्षित वर्गों के साथ काम किया और देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की है। मैंने मेरी सक्रियता के दौरान बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया और मैं बदलाव लाने के लिए बेताब हो गई हूं। जब आप में बदलाव लाने की इच्छा हो और आप इसे हासिल करना चाहते हैं, तो नेतृत्व खुद ब खुद आता है। हमारी टीम दिल्ली महिला आयोग (DCW) में अब तक जो काम कर पाई वह इसलिए कर पाई क्योंकि हमारी टीम का प्रत्येक सदस्य हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरे अनुसार एक और बड़ा परिवर्तन यह है कि हम बिना भयभीत, बिना किसी डर और किसी राजनीतिक प्रभाव के काम काम करते हैं और प्रश्न पूछते रहते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि देश में पहले कभी हुआ होगा। DCW देश में एकमात्र आयोग है, जिसने दिल्ली पुलिस

को एक साल में 3,500 नोटिस जारी किए हैं, और यहां तक कि पुलिस आयुक्त और गृह सचिव को बुलाया है। हमने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में हस्तक्षेप किया जिसने देश की अंतरात्मा को हिला दिया था और संसद को कानून पास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा, हमने किया है कई बचाव अभियान चलाए और तस्करी करके लाई गई लड़कियों को GB रोड से बचाया। हम कई मुद्दों पर काम कर रहे हैं और विभिन्न कानूनी मामलों में हस्तक्षेप किया है।

प्रश्न गर्ल्स काउन्टः महिला और लड़कियों की सुरक्षा आपके लिए एक अहम मुद्दा रहा है। क्या आपने महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष कार्य बल को बंद करने का कोई प्रभाव देखा है?

जय हिंदः निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले के बाद, देश के सांसदों ने सरकार से तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया था। तत्कालीन गृह मंत्री, सुशील कुमार शिंदे ने संसदीय आश्वासन के रूप में गृह सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स (STF) का गठन किया था जिसमें दिल्ली और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल थे। गृह सचिव ने संसद को आश्वासन दिया था कि सभी उद्देश्यों को पूरा कर लेने तक तक STF बनी रहेगी। उन्होंने माना था कि कोई भी परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित न हो। समिति को महीने में दो बार मिलना था लेकिन यह तीन वर्षों में केवल 12 बार मिली। मैं पिछली तीन बैठकों में उपस्थित थी, मैंने उनसे सवाल किया और हमारे द्वारा की गई सिफारिशों पर जवाब मांगने के लिए एक नोटिस भी जारी किया। हमें सूचित किया गया था कि STF भंग किया जा रहा है क्योंकि इसने अपना काम पूरा कर लिया था और दिल्ली के उप-राज्यपाल नयी समिति का गठन करेंगे। यह गृह मंत्री द्वारा दिये गये संसदीय आश्वासन का घोर उल्लंघन था क्योंकि STF का शायद कोई उद्देश्य पूरा हुआ होगा। हमें मामला अदालत में ले जाना पड़ा और LG द्वारा कई महीनों की देरी के बाद STF फिर से गठित की गई।

प्रश्न गर्ल्स काउन्टः निर्भया घटना से नीतिगत स्तर पर DCW ने क्या सीख प्राप्त की?

जय हिंदः निर्भया मामले से हमारी सीख यह है कि कानून अपनी जगह पर हैं और उनमें त्रुटियां दूर करने के लिए संशोधन भी किये जा रहे हैं, लेकिन कार्यान्वयन बहुत खराब है। दिल्ली के संदर्भ में, हमें लगता है कि राज्य और संघ के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। हम केंद्र से एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने के लिए कह रहे हैं जिसमें केन्द्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल, पुलिस आयुक्त और DCW शामिल होंगे। समिति की बैठकें महीने में कम से कम दो बार होंगी और पुलिस के डिजिटलीकरण, पुलिस संसाधन, उनकी जवाबदेही बढ़ाना, राजधानी में और अधिक फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और अदालतों सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। यह केवल तभी संभव है जब उच्च-स्तरीय समिति का गठन हो और कार्य करना शुरू हो।

प्रश्न गर्ल्स काउन्टः मीडिया रिपोर्टों से ऐसा प्रतीत होता है कि लोग सैनिटरी नैपकिन पर GST के फैसले से खुश नहीं हैं। दिल्ली के स्कूलों में नैपकिन की मुफ्त आपूर्ति के पीछे आपका विचार क्या था।

जय हिंदः स्कूल जाने वाली लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन देना उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा के मुद्दे के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट बताती हैं कि 23-25 प्रतिशत लड़कियां इसी वजह से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाती हैं। यह बहुत अधिक चिंता का विषय है और मुझे लगता है केंद्र सरकार इस बारे में संवेदनशील नहीं है। यहां तक कि जब पूरा देश सरकार से सैनिटरी नैपकिन पर GST वापस लेने की अपील कर रहा था, वे इस मुद्दे पर चुप थे।

कई किशोरियां मासिक धर्म के दौरान स्कूल नहीं जा पाती और घर पर बैठने को मजबूर हो जाती हैं। GST थोपने के बजाय, सरकार को चाहिए कि सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति सुनिश्चित करे। हमने प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को लिखा है लेकिन सांविधिक निकाय होने के बावजूद हमें उनसे कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। दिल्ली के स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह सेवा बीच में बंद कर दी गई थी लेकिन एक नोटिस जारी करने के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया गया। अगर इसके बारे में किसी को कोई शिकायत है, तो वे तुरंत हमें सूचित कर सकते हैं।

प्रश्न गर्ल्स काउन्टः आप दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों में दोषसिद्धि दर को कैसे देखती हैं?

जय हिंदः यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हम कई विशेषज्ञों से संपर्क कर रहे हैं। हमने दिल्ली पुलिस से डेटा मांगा था जिसके अनुसार 2012-2014 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 31,446 मामलों की सूचना मिली थी और केवल 146 को अपराधी ठहराया गया था।

कम दोषसिद्धि दर के कारण, लोग अपराध करने से नहीं डर रहे हैं। हमें दोषसिद्धि दर बढ़ाने की जरूरत है जिसके लिए तीन स्तरों पर काम करना है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की जांच प्रक्रिया स्तरीय नहीं है और अदालतें भी ऐसा कह रही हैं। कोई सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) नहीं है जिसके कारण पुलिस आयुक्त को पता ही नहीं लगता कि कितनी FIR दर्ज की गई हैं और उनमें से कितनी लंबित हैं। दूसरा, पुलिस बल के संसाधन बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस पिछले 10 साल से 80,000 कर्मियों की मांग कर रही है। DCW इस मामले पर अदालत में गई है। हाल ही में, 2,000 कर्मचारी स्वीकृत किए गए हैं जो बहुत कम है। DCW ने 2015 में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को नोटिस जारी किया था। यह सूचित किया गया था कि 7,500 नमूने लंबित थे, जिनमें से 1,500 खराब ही हो गए। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा, अदालतों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है और ऊपर से नीचे तक सभी सरकारी कर्मचारियों को भी जानकार करने की जरूरत है। आज, स्थिति ऐसी है कि बलात्कार पीड़ित अगर न्याय पाने का फैसला करती है तो उसे उसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। उसे एक लंबी लड़ाई लड़नी होती है। सिस्टम उससे फिर से बलात्कार करता है।

प्रश्न गर्ल्स काउन्टः क्या आपको लगता है कि सरकार और नागरिक समाज के बीच साझेदारी मजबूत करने की जरूरत है?

जय हिंदः दिल्ली में और देश में कई अच्छे गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, ज्यादातर मामलों में सरकारी एजेंसियां उनके साथ काम करना नहीं चाहती हैं। जब NGO सरकारी मशीनरी में कमी इंगित करते हैं तो उन्हें विरोधी समझा जाता है। अगर हमें हमारी गलतियों के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम सुधार कैसे करेंगे या सुधारात्मक उपाय कैसे करेंगे। हमें इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि कई NGO जमीन पर काम करते हैं और वास्तविकताओं को जानते हैं। लेकिन कई NGO ऐसे भी हैं जो अप्रभावी हैं और मुझे इसके बारे में बहुत बुरा लगता है।

स्वाती जय हिंद से livingpositive@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है ■

पृष्ठ 24 का शेष

अभियान के उद्देश्यः इसका उद्देश्य अपने परिवार, समुदाय और संस्थानों में व्याप्त जेंडर भेदभाव वाले सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना और नए जेंडर सामाजिक मानदंड स्थापित करने के लिए समानता साथियों का नेटवर्क विकसित करना, उनके ज्ञान, समझ और प्रतिबद्धता को बढ़ाना है।

'एक साथ' द्वारा की जा रही गतिविधियां

पुरुषों की जेंडर वाली भूमिकाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समुदायों और संस्थानों के भीतर निर्दिष्ट सार्वजनिक गतिविधियों के द्वारा संभावित समानता साथियों की पहचान की गई है। इन कार्यक्रमों में रंगमंच, फिल्म शो, चर्चा और बहस, दीवार लेखन, रैलियां, आदि शामिल थी। इन कार्यक्रमों के पहले चक्र की शुरूआत 2016 में 16 दिवसीय सक्रियता के दौरान हुई थी। पहले वर्ष में 2,000 से अधिक स्थानों पर गतिविधियां आयोजित की गई थी। समानता साथियों को आमने-सामने, मोबाइल फोन के साथ-साथ ऑनलाइन साधनों से वर्गीकृत क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान किए जाएंगे। CHSJ और इसके सहयोगियों की वर्तमान पद्धतियों से पाठ्यक्रम और कार्यपद्धति तैयार की जा रही हैं। संभावित समानता साथियों की सहायता करने वाले सलाहकार मौजूद हैं।

समानता साथियों को सामुदायिक कार्रवाई समूह के हिस्से के रूप में सामूहिक कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये कार्य होंगेः उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन; और जिस समुदाय और संस्थानों में हैं उनमें परिवर्तन। इन कुछ प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू काम में पुरुषों की भागीदारी, कम उम्र में विवाह और बाल विवाह रोकने के लिए समुदाय स्तर की कार्रवाई, संस्थानों में यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई, घरेलू हिंसा के खिलाफ कार्रवाई, आदि शामिल हैं। ऐसी कार्रवाई की कहानियां और उनसे आए बदलाव सामाजिक मीडिया के साथ-साथ मुख्यधारा के मीडिया के द्वारा व्यापक रूप से साझा किये जाएंगे ताकि दूसरों को प्रेरित करने के लिए गुणी चक्र बन सके। इस अभियान का उद्देश्य इन पुरुष परिवर्तनकर्ताओं की पहचान करना और फिर उनकी क्षमता का निर्माण करना और उन्हें अपने समुदायों में जेंडर से जुड़े सामाजिक मानदंडों को को चुनौती देने और समानता को बढ़ावा देने वाले मानदंडों का नया सेट लागू करने के लिए लैस करना है। ■

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाइटः www.unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342014, राजस्थान

फोनः 7425858111 email: jodhpur_unnati@unnati.org

इस बुलेटिन के लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।

दीपा सोनपाल, रमेश पटेल : ईमेलः sie@unnati.org, publication@unnati.org

अनुवादः आर. के. गुप्ता

मुद्रकः प्रिन्टविझन, अहमदाबाद

केवल सीमित वितरण के लिए

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करवायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।